रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 20 SEP 1976

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21, 1976/श्रावण 30, 1898

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21, 1976/SRAVANA 30, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

(प्रशासनिक सुधार)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1217.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिन्दी अनुवादक श्रेणी I (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम हिन्दी अनुवादक श्रेणी I (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिन्दी अनुवादक श्रेणी I (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग भर्ती नियम, 1972 में हिन्दी अनुवादक श्रेणी I के पद के सामने—

(i) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय"।

(ii) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे मद (iii) की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उपरोक्त अर्हताएं प्रशासनिक सुधार पक्ष के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में यदि चयन के किसी प्रक्रम पर प्रशासनिक सुधार पक्ष की यह राय है कि इन समुदायों में से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो अनुभव संबंधी अर्हताएं प्रशासनिक सुधार पक्ष के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।"

(3) स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"550-20-650-25-800 रु०"

[सं० ए० 12018/10/75-प्रशा०]

61 GI/76—1.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

(Administrative Reforms)

New Delhi, the 31st July, 1976

G.S.R. 1217.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Hindi Translator Grade I (Ministry of Home Affairs) Department of Administrative Reforms Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Hindi Translator Grade I (Ministry of Home Affairs) Department of Administrative Reforms Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Hindi Translator Grade I (Ministry of Home Affairs) Department of Administrative Reforms Recruitment Rules, 1972, against the post of Hindi Translator Grade I,—

(i) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Services, Group C (Non-Gazetted), Non-Ministerial".

(ii) in column 7, under the heading 'Essential', for the entry after item (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"The above qualifications are relaxable at the discretion of the Administrative Reforms Wing in case of candidates otherwise well qualified. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Administrative Reforms Wing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Administrative Reforms Wing is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them."

(iii) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 550—20—650—25—800."

[No A-12018/10/75-Admn.]

सा०का०नि० 1218.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिन्दी अनुवादक श्रेणी II (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम हिन्दी अनुवादक श्रेणी II (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिन्दी अनुवादक श्रेणी II (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग भर्ती नियम, 1972 में हिन्दी अनुवादक श्रेणी II के पद के सामने—

(i) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग लिपिक वर्गीय अराजपत्रित"।

(ii) स्तम्भ 4 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"425-15-500-ब०रो०-15-560-20-700 रु०"

(iii) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे मद (2) की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उपरोक्त अर्हताएं प्रशासनिक सुधार पक्ष के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में यदि चयन के किसी प्रक्रम पर, प्रशासनिक सुधार पक्ष की यह राय है कि इन समुदायों में से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो अनुभव संबंधी अर्हताएं प्रशासनिक सुधार पक्ष के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।"

[संख्या ए० 12018/10/75-प्रशा०]

G.S.R. 1218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Ministry of Home Affairs) Hindi Translator Grade II Recruitment Rules, 1972, namely—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Ministry of Home Affairs) Hindi Translator Grade II Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Administrative Reforms (Ministry of Home Affairs) Hindi Translator Grade II Recruitment Rules, 1972 against the post of Hindi Translator Grade II,—

(i) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group C, Ministerial Non-Gazetted".

(ii) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700".

(iii) in column 7, under the heading 'Essential' for the entry after item (2), the following entry shall be substituted, namely :—

"The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Administrative Reforms Wing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Administrative Reforms Wing is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to the available to fill up the vacancies reserved for them."

[No. A. 12018/10/75-Admn.]

सा०का०नि० 1219.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग (स्टाफ कार चालक) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशासनिक सुधार विभाग (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 1968 में स्टाफ कार चालक के पद के सामने—

(1) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)"

(2) स्तम्भ 4 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०"

(3) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे विद्यमान की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उपरोक्त अर्हताएं प्रशासनिक सुधार पक्ष के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में यदि चयन के किसी प्रक्रम पर प्रशासनिक सुधार पक्ष की यह राय है कि इन समुदायों में से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो अनुभव संबंधी अर्हताएं प्रशासनिक सुधार पक्ष के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।

[सं० ए 12018/10/75-प्रशासन]

G.S.R. 1219.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Staff Car Driver) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Administrative Reforms (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1968, against the post of Staff Car Driver,—

(i) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group C (non-gazetted) (non-ministerial)."

(ii) in column, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 260—6—290—EB—6—326—EB—8—366—EB—8—390—10—400."

(iii) in column 7, under the heading 'Essential', after the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Administrative Reforms Wing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Administrative Reforms Wing is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them".

[No. A-12018/10/75-Admn.]

सा०का०नि० 1220.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची में,—

(1) ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के सामने,

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय"

(ख) स्तम्भ 4 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०"

(ग) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे मद (iii) के पश्चात की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी।"

(2) प्रलेखन एवं अनुसंधान सहायक के पद के सामने:—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख (अराजपत्रित) अलिपिक-वर्गीय।"

(ख) स्तम्भ 4 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"550-25-750-द०रो०-30-900 रु०"

(ग) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे मद (iii) के पश्चात की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी।"

[सं० ए० 12018/10/75-प्रशा०]

G.S.R. 1220.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1970,—

(i) against the post of Senior Librarian,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group B (Gazetted), Non-ministerial".

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200."

(c) in column 7, under the heading 'Essential', for the entry after item (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them."

(ii) against the post of Documentation and Reference Assistant,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group B (Non-Gazetted), Non-Ministerial."

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 550—25—750—EB—30—900."

(c) in column 7, under the heading 'Essential', for the entry after item (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for post reserved for them."

[No. A-12018/10/75-Admn.]

सा०का०नि० 1221.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में—

(i) विशेष कार्य अधिकारी के पद के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क (राजपत्रित) अराजपत्रिकवर्गीय"

(ख) स्तम्भ 4 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1100-50-1600 रु०"

(ग) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे मद (iii) के पश्चात् की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी।"

(ii) सहायक संपादक के पद के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख (राजपत्रित) अराजपत्रिक-वर्गीय"।

(ख) स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्ष के नीचे मद (ii) के पश्चात् की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी।"

[सं० 12018/10/75 प्रशा०]

के० सी० कनकन, अवर सचिव

G.S.R. 1221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1969 namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1969,—

(i) against the post of Officer on Special Duty (Training),—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group A (Gazetted), Non-ministerial".

(b) in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1100—50—1600".

(c) in column 7, under the heading 'Essential', for the entry after item (iii), the following entry shall be substituted, namely :—

"Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them."

(ii) against the post of Assistant Editor,—

(a) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service Group B (Gazetted), Non-Ministerial".

(b) in column 7, under the heading 'Essential' for the entry after item (ii), the following entry shall be substituted, namely :—

"Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them."

[No. A-12018/10/75-Admn.]

K. C. KANKAN, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1976

मुख्यालय संस्थापन

सा०का०नि० 1132.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सर्वश्री आई० पी० गुप्ता और ओ० वी० कुरुविल्ला से, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य हैं, यह अपेक्षा करती है कि वे, बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, 30-7-76 से 30-9-76 तक की और अवधि के लिए, समझौता आयोग के सदस्यों के रूप में भी कार्य करेंगे।

[फा०सं०ए० 11013/10/76-प्रशा० 1]

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Revenue Wing)

New Delhi, the 31st July, 1976

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

G.S.R. 1222.—In exercise of the powers conferred by Section 245 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby requires Sarvashri I. P. Gupta and O. V. Kuruvilla, Members of the Central Board of Direct Taxes, to serve as Members of the Settlement Commission for a further period from 30-7-76 to 30-9-76, in addition to their duties as Members of the Board.

[F. No. A. 11013/10/76-Admn. I]

सा०का०नि० 1223.—धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 22ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सर्वश्री आई०वी० गुप्ता और ओ०वी० कुरुविल्ला से, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य हैं, यह अपेक्षा करती है कि वे बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त 30-7-76 से 30-9-76 तक की और अवधि के लिए समझौता आयोग के सदस्यों के रूप में भी कार्य करेंगे।

[फा०सं०ए० 11013/10/76-प्रशा०]

के० आर० नरसिंहन, अवर सचिव

G.S.R. 1223.—In exercise of the powers conferred by Section 22 B of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) the Central Government hereby requires Sarvashri I. P. Gupta and O. V. Kuruvilla, Members of the Central Board of Direct Taxes, to serve as Members of the Settlement Commission for a further period from 30-7-76 to 30-9-1976, in addition to their duties as Members of the Board.

[F. No. A. 11013/10/76-Admn. I]

K. R. NARASIMHAN, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1224.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, तकनीकी विकास महानिदेशालय में उप-महानिदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम तकनीकी विकास महा-निदेशालय (उप-महानिदेशक) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप महा निदेशक (इंजीनियरी)	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	2500-3000 रु०	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों/ के लिए शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** :—आयु सीमा का अवधारण करने वाली निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न, जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की यांत्रिक/औद्योगिक/ वैद्युत/इलेक्ट्रानिकी/धातुकर्मीय इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (2) किसी ख्याति प्राप्त इंजीनियरी उद्योग या किसी सरकारी विभाग या किसी ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक समुत्थान में किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में, अधिमानतः औद्योगिक इंजीनियरी और योजना में 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी; विशेष रूप से अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी) वांछनीय : (1) भारतीय दशाओं के प्रति विशेष निर्देश से इंजीनियरी उद्योगों की नवीनतम प्रवृत्तियों/समस्याओं और तकनीकों का सुपरिचय और ज्ञान। (2) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक यूरोपीय भाषा, अर्थात् जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी या इतालियन का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा/की जायगी/किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हताएं : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है), चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 2000-2500 रु० के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव हो। तकनीकी विकास महा निदेशालय में के ऐसे औद्योगिक सलाहकारों (इंजीनियरी) पर भी विचार किया जाएगा, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो। ऐसी दशा में जब विभागीय औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी) नियुक्ति के लिए चुन लिए जाते हैं, तब पद प्रोन्नति द्वारा भरे समझे जाएंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	1. अध्यक्ष : अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग। 2. सदस्य : 1. सचिव, (औद्योगिक विकास) 2. सचिव (तकनीकी विकास) और महानिदेशक, तकनीकी विकास।	स्तम्भ 10 के अन्तर्गत उपबन्ध के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7
2. उप-महानिदेशक (रसायन)	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	2500-3000 रु०	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :—आयु-सीमा के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न, जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की रसायन शास्त्र में एम० एस० सी० की उपाधि या रसायन इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में उपाधि या समतुल्य। (2) किसी ख्यातिप्राप्त रसायन उद्योग या भारत सरकार/राज्य सरकारों के किसी ऐसे विभाग में, जो रसायन उद्योगों की योजना, विकास तथा उत्पादन की समस्याओं से संबंध रखता हो, किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

1	2	3	4	5	6	7
						(अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी; विशेष रूप से अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी) । वांछनीय : (1) भारतीय दशाओं के विशेष प्रतिनिर्देश से रसायन उद्योगों की नवीनतम प्रकृतियों/समस्याओं और तकनीकों से सुपरिचय । (2) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक यूरोपीय भाषा, अर्थात् जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी या इतालियन का ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है), चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 2000-2500 रु० के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव हों, तकनीकी विकास महा निदेशालय में के ऐसे औद्योगिक सलाहकार (रसायन) पर भी विचार किया जाएगा, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो, यदि विभागीय औद्योगिक सलाहकार (रसायन) नियुक्ति के लिए चुन लिए जाते हैं, तब पद प्रोन्नति द्वारा भरे गए समझे जाएंगे । (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	1. अध्यक्ष : अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग । 2. सदस्य :— 1. सचिव (औद्योगिक विकास) 2. सचिव (तकनीकी विकास) और महा निदेशक तकनीकी विकास ।	स्तम्भ 10 के अन्तर्गत उपबन्ध के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[फा० सं० ए-12018/6/75-ई-4]
श्रीमती सुशीला भमोट, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 2nd August, 1976

G.S.R. 1224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director General in the Directorate General of Technical Development, Department of Industrial Development, Ministry of Industry & Civil Supplies, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate-General of Technical Development (Deputy Director General) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, as entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Sceduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-Slection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Director General (Engineering)	2	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 2500—3000	Not applicable.	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants) Note :—The crucial date determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree in Mechanical/Industrial/Electrical/Electronics/Metallurgical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 15 years' practical experience in a responsible capacity, preferably in Industrial Engineering and Planning, in any Engineering industry of repute or a Government Department or a commercial concern of repute. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Desirable : (i) Familiarity with and knowledge of the latest trends problems and techniques of engineering industries with special reference to Indian conditions. (ii) Knowledge of an European language other than English viz., German, French, Russian or Italian.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a PDC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Qge: No Aualifications : Yes	Two years.	By promotion or transfer on deputation (including short-term contract), selection being made in Consultation with the Union Public Service Commission, failing which by direct recruitment.	Promotion or transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/ State Governments, Public Sector undertakings, recognised Research Institutions holding analogous posts, or with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-2500 or equivalent, and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7, Industrial Advisers (Engineering) in the Directorate General of Technical Development with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, will also be considered. In case, the departmental Industrial Advisers (Engineering) are selected for appointment, the posts will be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 5 years.)	1. Chairman: Chairman/ Member, Union Public Service Commission. 2. Members : 1. Secretary, (Industrial Development) 2. Secretary (Technical Development) & Director General, Technical Development.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 read with the provision under column 10.

1	2	3	4	5	6	7
2. Deputy Director General (Chemicals)	2	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 2500-3000.	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants) Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) M.Sc. Degree in Chemistry or a Degree in Chemical Engineering/Technology of a recognised University or equivalent. (ii) 15 years' practical experience in a responsible capacity in any chemical Industry of repute or Department of the Government of India/State Governments dealing with planning development, production problems of chemical Industries. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified, in particular, the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Desirable : (i) Familiarity with the latest trends/problems and techniques of Chemical Industries with special reference to Indian conditions. (ii) Knowledge of a European language other than English viz. German, French, Russian or Italian.

8	9	10	11	12	13
Age: No Qualifications : Yes.	Two years.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract), selection being made in consultation with the Union Public Service Commission failing which by direct recruitment.	Promotion/transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments, Public Sector Undertakings, Recognised Research Institutions, holding analogous posts or with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-2500 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7; Industrial Advisers (Chemicals) in the Directorate General of Technical Development with 3 year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis will also be considered. In case, the Departmental Industrial Advisers (Chemicals) are selected for appointment the posts will be treated as having been failed by promotion. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 5 years).	1. Chairman. Chairman/Member, Union Public Service Commission. 2. Members: 1.Secretary (Industrial Development) 2. Secretary (Technical Development) & Director General Technical Development.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation Regulations, 1958 read with the provision under column 10.

[F. No. A-12018/6/75-E.IV]

Smt. S. BHANOT, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1225.—दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंतचिकित्सा परिषद, दंतचिकित्सकों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानक या आचार संहिता अधिकथित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का नाम दंतचिकित्सक (आचार संहिता) विनियम 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) अभिप्रेत है ;

(ख) 'परिषद' से भारतीय दंतचिकित्सा परिषद अभिप्रेत है ;

(ग) उन सब अभिव्यक्तियों का जिनका इन विनियमों में प्रयोग किया गया है तथा परिभाषा नहीं की गई है वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट हैं ।

3. घोषणा :—प्रत्येक दंतचिकित्सक जो (राज्य दंतचिकित्सक रजिस्टर के भाग क में या भाग ख में) रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, तथा प्रत्येक दंतचिकित्सक जो इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् अपना रजिस्ट्रीकरण कराता है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण से तीस दिन की अवधि के भीतर, राज्य दंतचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार के समक्ष, उस प्रारूप में जो इन विनियमों की अनुसूची में उस प्रयोजन के लिए उपवर्णित है, घोषणा करेगा और उसका पालन करने के लिए सहमत होगा ।

4. रोगियों और जनता के प्रति दंतचिकित्सकों के कर्तव्य और बाध्यता :—

प्रत्येक दंतचिकित्सक—

(क) अपने मिशन के उच्च स्वरूप तथा उन उत्तरदायित्वों के प्रति जो वह अपने वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में धारण करता है, सचेत होगा तथा सदैव यह स्मरण रखेगा कि रोगी की देखभाल और रोग का उपचार उसके द्वारा दर्शित कौशल और तुरन्त अवधान पर निर्भर करते हैं तथा वह सदैव यह स्मरण रखेगा कि उसकी व्यक्तिगत ख्याति, वृत्तिक योग्यता और कर्तव्य परायणता उसका सर्वोत्तम अनुशंसा है ।

(ख) रोगी के कल्याण को अन्य सभी विचारों से सर्वोपरि समझेगा तथा उसका अपनी पूर्णतम योग्यता पर्यन्त संरक्षण करेगा;

(ग) अपने रोगियों के प्रति भद्र, सहानुभूतिशील, मैत्रीपूर्ण और हितकर होगा तथा अपने रोगियों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहेगा, तथा सभी दशाओं में, रोगियों और जनता के प्रति उसका व्यवहार सुशिष्ट और गौरवपूर्ण होगा ;

(घ) अपनी परियुक्तियों को पूरा करने में समय निष्ठा का अनुपालन करेगा ;

(ङ) वृत्तिक सेवाओं के पारिश्रमिक के लिए उतनी एकरूपता का अनुसरण करना जितना कि विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सके, गौरव की बात समझेगा ;

(च) धर्म, राष्ट्रिकता, वंश, जाति तथा पंथ, दलगत राजनीति या सामाजिक स्थिति के विचार को रोगियों के प्रति अपने कर्तव्यों में मध्यक्षेप नहीं करने देगा ;

(छ) व्यक्तिक प्रकृति की सब जानकारी को, जो रोगी की बाबत उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वृत्तिक व्यवसाय के अनुक्रम में प्राप्त होती है, पूर्ण गोपनीय रखेगा, तथा इस बात के प्रति सतर्क रहेगा कि उसके द्वारा नियोजित सहायक कर्मचारीवृन्द, अर्थात् दंतस्वास्थ्य विज्ञानी और दंत मैकेनिक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द भी इस कारण इस नियम का अनुपालन करें कि परीक्षा और उपचार के अनुक्रम में किसी रोगी के बारे में प्राप्त ज्ञान या जानकारी विशेषाधिकृत होती है तथा दंत चिकित्सक वृत्तिक भेदों को, रोगी की सम्मति के अथवा किसी न्यायालय द्वारा ऐसा करने के लिए आदिष्ट किए जाने के सिवाय, प्रकट करने के लिए आबद्ध नहीं है ।

5. एक दंतचिकित्सक के दूसरे दंतचिकित्सक के प्रति कर्तव्य :—

प्रत्येक दंतचिकित्सक :—

(i) अपने सहकर्मियों का समुचित गौरव बनाए रखेगा तथा उन्हें व्यवहार, कार्यों या शब्दों द्वारा उनकी अप्रतिष्ठा नहीं करेगा ;

(ii) दंतचिकित्सक समाज के सदस्यों के हित के लिए अपहानिकर किसी बात का किसी भी कारण अनुध्यान नहीं करेगा या उसे नहीं करेगा ;

(iii) जब किसी दंतचिकित्सक को किसी अन्य दंतचिकित्सक की बीमारी या अनुपस्थिति के दौरान उसके रोगी की देखरेख सौंपी जाती है तो वह पारिश्रमिक आदि के बारे में किए गए पारस्परिक ठहरावों का आदर करेगा ;

(iv) जब किसी दंतचिकित्सक से किसी आपात में किसी अन्य दंतचिकित्सक के रोगी का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो तो वहां आपात के समाप्त होने के पश्चात् नियमित दंतचिकित्सक के पक्ष में अलग हो जाएगा ।

टिप्पणी : वह अपनी सेवाओं के लिए रोगी से प्रभार लेने का हकदार होगा ।

(v) यदि किसी अन्य दंतचिकित्सक के रोगी द्वारा किसी दंतचिकित्सक से परामर्श लिया जाता है, तथा यदि पश्चादुक्त दंतचिकित्सक को इस बात का निर्विवाद साक्ष्य मिलता है कि ऐसा रोगी पूर्वतन दोषपूर्ण उपचार से पीड़ित है तो वह अल्पतम टीका-टिप्पणी पूर्वक तथा ऐसी रीति में जिससे ऐसे अन्य दंतचिकित्सक की कोई अप्रतिष्ठा न हो, सही उपचार तुरन्त शुरू कर देगा ;

(iv) किसी अन्य दंतचिकित्सक, उसकी पत्नी और कुटुम्ब के सदस्यों की मुफ्त सेवा करना प्रसन्नता और सौभाग्य की बात समझेगा, यद्यपि वृत्तिक सेवा के लिए किसी दंतचिकित्सक के किसी अन्य दंतचिकित्सक से प्रभार लेने की बाबत कोई विधिक वर्जन नहीं है ।

6. अनैतिक आचार :—दंतचिकित्सक के लिए निम्नलिखित को अनैतिक आचार माना जाएगा, अर्थात् :—

(क) दंतचिकित्सक द्वारा अपने वृत्तिक व्यवसाय में किसी ऐसे वृत्तिक सहायक (जो रजिस्ट्रीकृत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी अथवा रजिस्ट्रीकृत दंत मैकेनिक नहीं है) का, जिसका नाम राज्य दंतचिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित दंतचिकित्सा व्यवसाय करने के लिए नियोजन ;

(ख) किसी दंतचिकित्सक या दंतचिकित्सकों के समूह द्वारा अपनी 'दंतचिकित्सा क्लीनिक' या चैम्बर/चैम्बरों का 'दंतचिकित्सालय' नाम रखा जाना ;

(ग) समय-समय पर यथा संशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और तदधीन बनाए गए नियमों का कोई ऐसा उल्लंघन जिसमें किसी दंतचिकित्सक को तदधीन प्रदान किए गए विशेषाधिकारों का कोई दुरुपयोग अन्तर्वलित हो, चाहे ऐसा उल्लंघन वाणिज्यिक कार्यवाहियों का विषय रहा हो अथवा नहीं ;

(घ) किसी ऐसे प्रमाणपत्र को जो असत्य, भ्रामक या अनुचित है, अपने नाम और प्राधिकारी के अधीन हस्ताक्षरित करना अथवा ऐसे मिथ्या प्रमाणपत्र या शंसा पत्र देना, जो गुप्त रोगहर पदार्थों या औषधियों की अनुमित प्रभावोत्पादकताओं से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संबंधित है ;

(ङ) अनैतिकता जिसमें वृत्तिक संबंध का दुरुपयोग अन्तर्ग्रस्त है ;

(च) किसी किस्म के अवैध व्यवसाय के प्रति मौनानुकूलन या उसमें सहायता करना ;

(छ) उपचार की गुप्त प्रणालियों का उपयोग करके समूल रोगमुक्ति का वचन ;

(ज) रोगी प्राप्त करने या अपने स्वयं के वृत्तिक लाभ की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः विज्ञापन करना ;

(झ) चिकित्सा व्यवसायी के कौशल, ज्ञान, सेवा या अर्हताओं की सराहना करने वाली या उनके प्रति ध्यान दिलाने वाली सूचना के प्रकाशन अथवा उन व्यक्तियों से जो प्रेस रिपोर्टों के द्वारा ऐसे विज्ञापन या प्रकाशन को उपाप्त या मंजूर करते हैं, सहयुक्त करने या उनके द्वारा नियोजित होने के प्रति उपमत होना ;

(ञ) रोगी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या प्रचारक को नियोजित करना ; अथवा उन व्यक्तियों से जो ऐसे नियोजन को उपाप्त या मंजूर करते हैं, सहमुक्त होना या उनके द्वारा नियोजित होना ;

(ट) किसी ऐसे संकेत का प्रयोग या प्रदर्शन करना, जो उस संकेत से भिन्न है जो कि अपने स्वरूप, स्थिति, आकार और शब्द-चयन में केवल ऐसा है जिससे उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें उसकी तलाश है, युक्तियुक्त रूप से उस परिसर की, जिसमें दंतचिकित्सा व्यवसाय चलाया जाता है, निश्चित अवस्थिति तथा उसके प्रति प्रवेश मार्ग उपदर्शित करना अपेक्षित है ;

(ठ) ऐसे साइन बोर्डों का जो 0.9 मीटर गुणित 0.6 मीटर से बड़े हैं, प्रयोग किया जाना तथा 'दांत', 'बिना दर्द के निकाला जाना' अथवा इसी प्रकार के शब्दों का अथवा उस परिसर से, जिसमें चिकित्सा व्यवसाय वस्तुतः चलाया जा रहा है, भिन्न परिसर में व्यवसाय के बारे में सूचनाओं का अथवा प्रदर्शन मंजूषाओं या स्फुरण प्रकाश संकेतों का उपयोग, तथा किसी भी ऐसे संकेत का उपयोग जिसमें अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञ) के अधीन यथा परिभाषित उसके नाम और अर्हताओं से भिन्न कोई बात दर्शित है ;

(ड) किसी औषधि दुकान पर या ऐसे स्थानों में जहां दंतचिकित्सक निवास अथवा कार्य नहीं करता है, साइन बोर्ड लगाना ;

(ढ) समाचारपत्रों में किन्हीं ऐसे पैराओं और ऐसी सूचना का संनिवेश तथा व्यापार सूचियों में ऐसे नामों का आख्यापन भी

तथा उनके नामों या आख्यापनों का लोक मनोरंजन के स्थानों में संप्रदर्शन जो कि उसके पता परिवर्तन से भिन्न है ;

(ण) दंतचिकित्सक के नाम का ऐसी वाणिज्य वस्तुओं जैसे टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, दंत मंजन, लीक्विड क्लीनरों और ऐसी ही वस्तुओं को नामित करने के लिए अथवा ऐसी मदों के लिए परिपत्रों पर उपयोग करने देना अथवा ऐसी किसी मदों पर, साधारण अथवा जन-सामान्य पत्रों या जन-सामान्य समाचारपत्रों में प्रकाशन अनुज्ञात करना ;

(त) दंतचिकित्सक के नाम के पश्चात् उन संकेताक्षरों के सिवाय किन्हीं अन्य संकेताक्षरों का वर्णन करना, जो उन दंत अर्हताओं को उपदर्शित करते हैं जो कि उसने दंतचिकित्सा में अपने शैक्षिक जीवन के दौरान उपार्जित की है तथा जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञ) में यथा परिभाषित 'मान्यताप्राप्त दंतअर्हता' अथवा किन्हीं अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक अर्हताओं के अनुरूप हैं ;

(थ) इस प्रकार के संकेताक्षरों का प्रयोग करना ; (1) रजिस्ट्रीकृत दंतचिकित्सा व्यवसायी के लिए रा० द० व्य०, (2) सदस्य भारतीय दंतचिकित्सा संगम के लिए स० भा० दं० सं०, (3) फैलो आफ इंटरनेशनल कालेज आफ डैंटिस्ट्स के लिए एफ०आई०सी०डी०, (iv) मास्टर आफ इंटरनेशनल कालेज आफ डैंटिस्ट्स के लिए एम० आई० सी० डी०, (5) फैलो आफ अमेरिकन कालेज आफ डैंटिस्ट्स के लिए एफ० ए० सी० डी०, (6) मैंबर आफ रोयल सोसाइटी आफ हाईजीन के लिए एम० आर० एस० एच० आदि, आदि और इसी प्रकार के अन्य जो शैक्षिक अर्हताएं नहीं है ;

7. पते का परिवर्तन और उससे संबंधित आख्यापन :—(1) पते के परिवर्तन के लिए सूचना संबंधित राज्य दंतचिकित्सा परिषद् को प्रज्ञापित की जाएगी ।

(2) दंतचिकित्सक निम्नलिखित के बारे में समाचारपत्रों में, एक संनिवेश प्रतिषेध, प्ररूपिक आख्यापन जारी कर सकेगा, (अर्थात्) :—

(क) चिकित्सा व्यवसाय आरंभ करने पर ;

(ख) चिकित्सा व्यवसाय के किस्म के परिवर्तन पर ;

(ग) पते के परिवर्तन पर ;

(घ) कर्तव्य से अस्थायी अनुपस्थिति पर ;

(ङ) चिकित्सा व्यवसाय के पुनः आरंभ करने पर ;

(च) तत्पश्चात् कोई अन्य व्यवसाय कर लेने पर ।

8. अनैतिक आचरण के लिए कार्यवाही :—(1) जब राज्य दंतचिकित्सा परिषद् को ऐसा परिवाद या जानकारी प्राप्त होती है कि कोई दंतचिकित्सक विनियम 6 में यथा वर्णित किसी अनैतिक आचार का आश्रय ले रहा है अथवा इन विनियमों में से किसी अन्य विनियम को भंग कर रहा है तो संबंधित राज्य दंतचिकित्सा परिषद् उससे स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर सकेगी और उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांचें, यदि कोई हों, करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, यह विनिश्चय कर सकेगी कि क्या ऐसा आचार किसी वृत्तिक पहलू से गर्हित आचरण के तुल्य है अथवा इन विनियमों के किसी अन्य विनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तथा तब उस कार्यवाही का आवधारण करेगा जो अधिनियम की धारा 41 के अधीन उस दंतचिकित्सक के विरुद्ध की जाएगी ।

(2) जैसे ही और जब इन विनियमों के भंग का परिवाद राज्य दंतचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार की जानकारी में लाया जाता है, वह तत्काल कार्यवाही करेगा ।

अनुसूची

घोषणा का प्रारूप

(विनियम 3 देखिए)

(1) मैं सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना जीवन दंत देखभाल के क्षेत्र में मानवजाति की सेवा के निमित्त अर्पित करूंगा ;

(2) मैं अपने दंत ज्ञान का मानवता के नियमों के प्रतिकूल उपयोग नहीं करूंगा ;

(3) मैं धर्म, राष्ट्रिकता, वंश, जाति और पंथ, दलगत राजनीति या सामाजिक स्थिति के विचार को अपने रोगी और वृत्ति के प्रति अपने कर्तव्य में मध्यक्षेप नहीं करने दूंगा ;

(4) मैं अपने रोगी के दंत स्वास्थ्य को अपने प्रथम अभिसंधान के रूप में देखभाल करूंगा ;

(5) मैं उन भेदों का मान करूंगा जो वृत्तिक सेवाओं के दौरान मेरे रोगियों द्वारा मुझे बताए गए हैं ;

(6) मैं दंतचिकित्सा व्यवसाय की प्रतिष्ठा और उदात्त परम्पराओं को सदैव बनाए रखूंगा ;

(7) मैं अपने सहकर्मियों का समुचित गौरव बनाए रखना अपने लिए गौरव की बात समझूंगा तथा अपने व्यवहार या कार्यों या शब्दों द्वारा उनकी अप्रतिष्ठा नहीं करूंगा ;

(8) मैं अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का पालन करूंगा तथा ऐसी उपाधि/डिप्लोमा या संकेताक्षर का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे कोई दंत अर्हता उपवर्णित या विवक्षित होती है तथा जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञ) के अधीन यथा परिभाषित 'मान्यताप्राप्त दंत अर्हता' की परिभाषा के अनुसार नहीं है ;

(9) मैं किसी ऐसे क्रियाकलाप में निरत नहीं होऊंगा जिससे दंत-चिकित्सा वृत्ति को अपयश प्राप्त हो ।

हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

दंतचिकित्सक का नाम.....

रजिस्ट्रीकरण सं०.....

राज्य.....

[सं० वी० 12025/7/73-एम पी टी]

एस० श्रीनिवासन, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 2nd August, 1976

G.S.R. 1225.—In exercise of the powers conferred by section 17A of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India hereby makes the following regulations for

laying down standards of professional conduct and etiquette or the code of ethics for dentist, namely :—

1. Short title and Comencement.—(1) These regulations may be called the Dentists (Code of Ethics) Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context oherwise requires,—

(a) 'Act' means the Dentists Act, 1948 (16 of 1948);

(b) 'Council' means the Dental Council of India;

(c) All expressions used and not defined in these regulations shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Declaration.—Every dentist who has been registered (either on Part A or Part B of the Sate Dentists Register) shall, within a period of thirty days from the date of commencement of these regulations, and every dentists who gets himself registered after the commencement of these regulations shall, within a period of thirty days from such registration, make, before the Registrar of the State Dental Council a declaration in the form set out for the purpose in the Schedule to these regulations and shall agree to abide by the same.

4. Duties and obligation of dentists towards patients and public :—Every dentist shall—

(a) be mindful of the high character of his mission and the responsibilities he holds in the discharge of his professional duties and shall always remember that care of the patient and treament of the disease depends upon the skill and prompt attention shown by him and always remembering that his personal reputation, professional ability and fidelity remain his best recommendations;

(b) treat the welfare of the patient as paramount to all other considerations and shall conserve it to the utmost of his ability;

(c) be courteous, sympathetic, friendly and helpful to, and always ready to respond to, the call of his patients, and that under all conditions his behaviour towards his patients and the public shall be polite and dignified;

(d) observe punctuality in fulfilling his appointment;

(e) deem it a point of honour to adhere with as much uniformity as the varying circumstances may admit, to the remuneration for professional services;

(f) not permit consideration of religion, nationality, race, caste and creed, party politics or social standing to intervene in his duties towards his patients;

(g) keep all the information of a personal nature which he comes to know about a patient directly or indirectly in the course of professional practice in utmost confidence; and be mindful that the auxillary staff viz., dental hyglenists and dental mechanics and other staff employed by him also observe this rule for the reason that knowledge or information of a patient gained during the course of examination and treatment is privileged, and a dentist is not bound to disclose professional secrets, except with the consent of the patient, or on being ordered to do so by a court of law.

5. Duties of one dentist towards another :—Every dentist shall—

(i) cherish a proper pride in his colleagues and shall not disparage them either by actions, deeds or words;

(ii) on no account contemplate or do anything harmful to the interest of the members of the fraternity;

(iii) honour mutual arrangements made regarding remuneration etc., when one dentist is entrusted with the care of a patient of another dentist during the later's sicknes or absence;

(iv) retire in favour of the regular dentist, after the emergency is over, when a dentist called upon in any emergency to treat the patient of another dentist.

Note :—He shall be entitled to charge the patient for his services;

(v) institute correct treatment at once, with the least comment, and in a manner that will avoid any reflection on such other dentist if a dentist is consulted by a patient of another dentist, and if the later finds indisputable evidence that such a patient is suffering from previous faulty treatment;

(vi) regard it as a pleasure and privilege to render gratuitous service to another dentist, his wife and family members, although there is no legal bar to a dentist from charging another dentist for professional service.

6. Unethical practices :—The following shall be the unethical practices for a dentist, namely :—

(a) employment by a dentist in his profesional practice of any professional assistant (not being a registered dental hygienist or a registered dental mechanic) whose name is not registered in the State Dentists Register, to practise dentistry as defined in clause (d) of section 2 of the Act;

(b) styling by any dentist or a group of dentists his/their 'Dental Clinic' or Chamber/s by the name of of 'Dental Hospital/s;

(c) any contravention of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the rules made thereunder as amended from time to time, involving an abuse of privileges conferred thereunder upon a dentist, whether such contravention has been the subject of criminal proceedings or not;

(d) signing under his name and authority any certificate which is untrue, misleading or improper, or giving false certificates or testimonials directly or indirectly concerning the supposed virtues of secret therapeutic agents or medicines;

(e) immorality involving abuse of professional relationship;

(f) conniving at or aiding in any kind of illegal practice;

(g) promise of radical cure by the employment of secret methods of treatment;

(h) advertising, whether directly or indirectly, for the purpose of obtaining patients or promoting his own professional advantage;

(i) acquiescing in the publication of notice commending or directing attention to the practitioner's skill, knowledge, service or qualifications, or of being associated with or employed by those who procure or sanction such advertising or publication through press reports;

(j) employing any agent or canvasser for the purpose of obtaining patients; or being associated with or employed by those who procure or sanction such employment;

(k) using or exhibition of any sign, other than a sign which in its character, position, size and wording is merely such as may reasonably be required to indicate to persons seeking them the exact location of, and entrance to, the premises at which the dental practice is carried on;

(l) using of sign-boards larger than 0.9 metre by 0.6 metre and the use of such words as 'Teeth', 'Painless Extraction' or the like, or notices in regard to practices on premises other than those in which a

practice is actually carried on, or show-cases, or flickering light sings, and the use of any sign showing any matter other than his name and qualifications as defined under clause (j) of section 2 of the Act;

(m) affixing a sign-board on a Chemist's shop or in places where the dentist does not reside or work;

(n) insertion of any paragraphs and notice in the press and also the announcement of names in the trading lists and the display of their names or announcements at places of public entertainments; other than the change of his address;

(o) allowing the dentist's name to be used to designate commercial articles such as tooth paste, tooth brush, tooth power, liquid cleaners, or the like or on circulars for such items, or permitting publication of his opinion on any such items, in the general or lay papers or lay journals;

(q) mentioning after the dentist's name any other abbreviations except those indicating dental qualifications as earned by him during his academic career in dentistry and which conform to the definition of 'recognised dental qualification' as defined in clause (j) of section 2 of the Act, or any other recognised academic qualifications;

(q) using of abbreviations like (i) R.D.P. for Registered Dental Practitioner, (ii) M.I.D.A. for Member Indian Dental Association, (iii) F.I.C.D. for Fellow of International College of Dentists, (iv) M.I.C.D. for Master of International College of Dentists, (v) F.A.C.D. for Fellow of American College of Dentists, (vi) M.R.S.H. for Member of Royal Society of Hygiene, etc., etc., and the like, which are not academic qualifications.

7. Change of address and announcements relating thereto :—(1) A notice for the change of address shall be intimated to the concerned State Dental Council.

(2) A dentist may issue a formal announcement in the Press, one insertion per paper, regarding the following, (namely) :—

(a) on starting practice;

(b) on change of type of practice;

(c) on changing address;

(d) on temporary absence from duty;

(e) on resumption to practice;

(f) on succeeding to another practice.

8. Action for unethical conduct :—(1) When complaint or information is received by the State Dental Council that any dentist is resorting to any unethical practice as mentioned in regulation 6, or is committing a breach of any other of these regulations, the concerned State Dental Council may call upon him to explain and after giving him a reasonable opportunity of being heard and after making such enquiries, if any, as it may deem fit, decide whether such a practice tantamounts to in-famous conduct in any professional respect or contravenes any of the provisions of any other of these regulations, and then determine the action to be taken against the dentist under section 41 of the Act.

(2) As and when a complaint of breach of these regulations is brought to the notice of the Registrar of a State Dental Council, he shall take prompt action.

SCHEDULE

FORM OF DECLARATION

(see regulation 3)

(i) I solemnly pledge myself to devote my life to the cause of serving humanity in the field of dental care;

(ii) I shall not use my dental knowledge contrary to the laws of humanity;

(iii) I shall not permit consideration of religion, nationality, race, caste and creed, party politics or social standing to intervene in my duty towards my patient and the profession;

(iv) I shall look after the dental health of my patient as my first consideration;

(v) I shall honour the secrets which are confided in me by my patients during the professional services;

(vi) I shall always maintain the honour and noble traditions of the dental profession;

(vii) I shall deem it an honour to cherish a proper pride in my colleagues and shall not disparage them by my actions, deeds or words;

(viii) I shall abide by the various provisions of the Act and desist from using a degree/diploma or an abbreviation indicating or implying a dental qualification, which is not in accordance with the definition of 'recognised dental qualification' as defined under clause (j) of section 2 of the Act;

(ix) I shall not indulge in any activity which might bring discredit to the dental profession.

Dated the Signature

Place Name of Dentist————

Registration No.————

State ————

[V-12025/7/73-MPT]

S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में 'सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) के पद से सम्बन्धित क्रम सं० 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
"3. सहायक औषधि नियंत्रक (भारत)	7	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	चयन	40 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या औषध रसायन या जैव रसायन या औषध निर्माण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (2) औषधि मानक से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने में 7 वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए शिथिल की जा सकेंगी।) वांछनीय : औषधि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन का पर्याप्त अनुभव और/अथवा उसके विनिर्माण और परीक्षण की व्यवस्था और/अथवा औषधियों के आयात और निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगा या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा/की जाएगी	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं अर्हताएं—रसायन विज्ञान या औषधशाला/औषध निर्माण रसायन विज्ञानमें उपाधि होनी चाहिए।	2 वर्ष	66-2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 33-1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : (1) सहायक सचिव (भारतीय भेषजकोश समिति) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो ; (2) तकनीकी अधिकारी ; और (3) औषधि निरीक्षक, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अपनी-अपनी श्रेणियों में 8 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त सचिव—सदस्य (3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट तकनीकी विशेषज्ञ—सदस्य (4) निदेशक (प्रशासन और सतर्कता)—सदस्य सचिव	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) से छूट विनियम 1958 के अधीन यथाअपेक्षित"

[सं० X-11031/3/75-डी एण्ड एम एस]

रमेश बहादुर, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 1976

G.S.R. 1226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969 for serial No. 3 relating to the post of 'Assistant Drugs Controller (India)' and the entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
"3.	Assistant Drugs Controller (India)	7	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants) Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) A post-graduate degree in Chemistry or Pharmaceutical Chemistry or Biochemistry or Pharmacy of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years' experience in dealing with problems connected with standards of drugs. Or 7 years' experience either in the manufacture or testing of drugs in concern of repute. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : Adequate experience of Administration of the Drugs Act and the rules made thereunder and/or of manufacture and testing of and/or dealing with problems connected with import and export of drugs.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age: No. Qualifications : Must possess a degree with Chemistry or in Pharmacy/Pharmaceutical Chemistry	2 years	66-2/3% by promotion, failing which, by direct recruitment; 33-1/3% by direct recruitment	Promotion : (i) Assistant Secretary (Indian Pharmacopoeia Committee) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (ii) Technical Officers, and (iii) Drugs Inspectors with 8 years service in their respective grades rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : (1) Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary, Department of Health— Member 3. Technical Expert to be nominated by the Director General of Health Services 4. Director (Administration and Vigilance)— Member-Secretary	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. X-11031/3/75-D &MS]

RAMESH BAHADUR, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक (लेखा) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक (लेखा)	7	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अलिपिक-वर्गीय)	425-15-500-द०रो०-15-560-20-640 रु०	चयन	30 वर्ष से अनधिक	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः वाणिज्य में स्नातक। (2) लेखा कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से रोकड़ और लेखे में प्रशिक्षण।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
आयु :—नहीं अर्हताएं :—नहीं	दो वर्ष	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष निरन्तर सेवा की हो। जिसमें से दो वर्ष का अनुभव लेखा कार्य में हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : भारत सरकार के सिविल और रक्षा लेखा विभागों के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, अधिमानतः वे जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेखा पद्धति का ज्ञान हो। टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'ग' (लिपिकवर्गीय) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर (मुख्यालय) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य 3. निदेशक (मुख्यालय), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य 4. प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य (प्रमुख इंजीनियर की अनुपस्थिति में अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, अध्यक्षता करेगा)।	लागू नहीं होता

[सं० 7-58/75-एम आई (ए)]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 28th July, 1976

G.S.R. 1227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant (Accounts) in the Central Ground Water Board, namely :—

1. Shrot title and commencement.—(a) These rules may be called the Central Ground Water Board, Assistant (Accounts) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualifications.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions requiree to be provided for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant (Accounts)	7	General Central Service Group C Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-640	Selection	Not exceeding 30 years.	Essential : (i) Graduate of a recognised University, preferably in Commerce. (ii) Experience in Account work for at least 5 years Desirable : Training in Cash and Accounts from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised Institution.

Whether age and educational qualifications etc. prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/transfer, grades from which promotion/ tranfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Educational Qualifications : No Age : No	Two years	100% by promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Upper Division Clerks in the Central Ground Water Board with 5 years continuous service in the grade, out of which 2 years' experience in accounts work. Transfer on Deputation : Upper Division Clerks in Civil and Defence Audit Departments of the Govt. of India with 5 years' regular service in the grade preferably those having knowledge of Central Public Works Department system of account. NOTE.—The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	Departmental Promotion Committee, Group C (Ministerial) consisting of : 1. Chief Engineer, Central Ground Water Board ..Chairman 2. Superintending Engineer (Headquarters), Central Ground Water Board ..Member 3. Director (Headquarters) Central Ground Water Board. ..Member 4 Administrative Officer, Central Ground Water Board ..Member (In the absence of Chief Engineer, Superintending Engineer shall preside)	Not applicable.

[No. 7-58/75-MI(A)]

सा० का० नि० 1228.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवा) भर्ती नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल बोर्ड (वर्ग 1 और 2 वर्ग सेवा) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवा) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में मद 13 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
13 प्रभारी ड्रिलर	46	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	30 वर्ष से अनधिक टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी ।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से क (1) यान्त्रिक खनन या पैट्रोलियम इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (2) घर्णी (रोटरी) आघात (पर्कशन) ड्रिलों के प्रचालन और रखरखाव में 2 वर्ष का अनुभव । या ख (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यान्त्रिक या खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य ।

1	2	3	4	5	6	7
						(2) वर्णी और आघात रिगों के प्रचालन और रखरखाव में 4 वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में हित परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं अर्हताएं—स्तंभ 11 में उपदर्शित विस्तार तक	2 वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ज्येष्ठ ड्रिलिंग सहायक तथा ड्रिलर एवं यान्त्रिक जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 और 5 वर्ष सेवा की हो परन्तु यह तब जब कि उनके पास कम से कम मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो।	समूह 'अ' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. कृषि विभाग में प्रशासन का भारसाधक संयुक्त सचिव—सदस्य (जब सदस्य संघ लोक सेवा आयोग उपस्थित न हो तो वह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा) 3. कृषि विभाग में सम्बद्ध प्रभाग का तकनीकी प्रधान या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य (प्रमुख इंजीनियर की अनुपस्थिति में अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उपस्थित हो सकेगा)। 5. उप सचिव (भूमिगत जल) कृषि विभाग—सदस्य। 6. कृषि विभाग में सम्बद्ध स्थापन का भारसाधक अवर सचिव—सदस्य सचिव	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथाअपेक्षित।

[सं० 7-64/73 एम आई (ए)]

एस दयाल, उप सचिव

G.S.R. 1228.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services Recruitment Rules, 1963, namely :—

(1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services) Recruitment (First Amendment) Rules 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services Recruitment Rules. 1963, for item 13 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1		2	3	4	5	6	7
13	Driller incharge	46	General Central Service Group 'B'	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 30 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	A.(i) Degree in Mechanical Mining or Petroleum Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) 2 years' experience in operation and maintenance of rotary and percussion rigs. OR B.(i) Diploma in Mechanical or Mining Engineering from a recognised Institute or equivalent. (ii) 4 years' experience in operation and maintenance of rotary and percussion rigs. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified, in particular to the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled tribes)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/ or transfer, grades from which promotion/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : No Qualifications : To the extent indicated in column 11.	2 years	50% by direct recruitment and 50% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Senior Drilling Assistants and Driller-cum-Mechanics with 3 and 5 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis provided they posses at least a Matriculation Certificate.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Joint Secretary Incharge of Administration in the Department of Agriculture—Member (He shall also act as Chairman when Member Union Public Service Commission does not attend.) 3. Technical head of the Division concerned in the Department of Agriculture or his nominee —Member 4. Chief Engineer, Central Ground Water Board—Member. (In the absence of Chief Engineer, Superintending Engineer, Central Ground Water Board may attend). 5. Deputy Secretary (Ground Water) in the Department of Agriculture—Member 6. Under Secretary Incharge of Establishment concerned in the Department of Agriculture—Member Secretary.	As required under the Union Public Service Commissione (xemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 7-64/73-MI (A)]

S. DAYAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1229.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 में—

(i) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9 पूर्वोक्त अनुसूची के क्रम सं० 18: 20 और 21 पर वर्णित पदों के संबंध में इन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंध 30 सितम्बर, 1976 तक प्रवृत्त रहेंगे।

(ii) अनुसूची में क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
"11	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य श्रेणी)	32	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	चयन	40 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (1) अपेक्षित विषय, अर्थात् रसायन विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान आदि में द्वितीय श्रेणी में एम० एस० सी० की उपाधि या समतुल्य तथा (2) अपेक्षित क्षेत्र में लगभग 5 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव या कर्यकारी प्लानों, वन संवर्धन अनुसंधान आदि का व्यावहारिक क्षेत्रीय अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा जा सकती हैं। वांछनीय : (1) अपेक्षित विषय में डाक्टरेट डिग्री। (2) क्षेत्र में व्यावहारिक या प्रौद्योगिक अनुभव। (3) अंग्रेजी के अलावा किसी एक आधुनिक यूरोपियन भाषा का ज्ञान। (प्रत्येक पद के लिए निर्धारित की गई अर्हताओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	2 वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी और सांख्यिकी से भिन्न) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो	वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष वाई जी एफ—सदस्य 3. कृषि मंत्रालय में प्रशासन का भार-साधक संयुक्त सचिव—सदस्य 4. कृषि विभाग में प्रशासन का भार-साधक—सदस्य	नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य श्रेणी) के पद के भर्ती नियम 31 दिसम्बर, 1975 तक प्रभावी थे। उस तारीख को समाप्ति से पूर्व ही, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन पदों के संशोधित भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया था, परन्तु उन्हें अधिसूचित नहीं किया जा सका, क्योंकि कुछ अन्य पदों के भर्ती नियमों के प्रस्ताव विचाराधीन थे और यह सोचा गया था कि एक संयुक्त अधिसूचना जारी कर दी जायेगी परन्तु अभी तक अन्य पदों के नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस बीच वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून में ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य श्रेणी) के रिक्त पदों को भरना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य श्रेणी) के पुनरीक्षित भर्ती नियम अब अधिसूचित किए जा रहे हैं जो 1-1-1976 से लागू होंगे। यह प्रकाशित किया जाता है कि इन नियमों के पिछली तारीख से लागू किए जाने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 1-5/71-एफ० आर० वाई]
सी० ना० सिन्हा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st July, 1976

G. S. R. 1229.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Forest Research Institute and Colleges, (Class I and Class II non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges, (Class I and Class II non-tenure posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

2. In the Forest Research Institute and Colleges, (Class I and Class II non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966—

(i) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

"9. The provision contained in these rules in respect of the posts mentioned at serial numbers 18, 20 and 21 of the Schedule aforesaid shall remain in force up to the 30th day of September, 1976";

(ii) in the Schedule, for serial number 11 and the entries as relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
"11.	Senior Research Officer (Ordinary Grade)	32	General Central Service Group A, Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Selection	40 years and below (Relaxable for Government Servants)	Essential : (i) A Second Class M.Sc. degree in the required subject, e.g. Chemistry, Physics, Botany etc., or equivalent, and (ii) About 5 years' research experience in the required field or practical field experience of preparing working plans, silviculture research etc. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified). Desirable : (i) Doctorate degree in the required subject. (ii) Practical or industrial experience in the line. (iii) Knowledge of a modern European language other than English. (Details of qualifications prescribed for each post will be as given in the annexure).

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion by deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age : No Educational Qualification : Yes.	2 years	25% by promotion, failing which by direct recruitment & 75% by direct recruitment.	Promotion : Research Officer (Other than Engineering and Statistical) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I Departmental Promotion Committee 1. Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Inspector General of Forests—Member. 3. Joint Secretary incharge of Administration in Department of Agriculture—Member. 4. Deputy Secretary incharge of Administration in Department of Agriculture—Member.	As required under the rules."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The recruitment rules for the post of Senior Research Officer (Ordinary Grade) were effective up to 31st December, 1975. Before the expiry of that date, revised recruitment, rules for these posts were finalised in consultation with Union Public Service Commission but they could not be notified as proposals for recruitment rules of some other posts were also under consideration and it was thought that a combined notification would be issued. However, it has not been possible to finalize the rules for other posts so far. In the meantime, it has been found necessary to fill in the vacant posts of Senior Research Officer (Ordinary Grade) at the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun. Accordingly, the revised recruitment rules are now being notified for the post of Senior Research Officer (Ordinary Grade) as effective from 1-1-1976. It is certified that the interest of no-one would be prejudicially affected by reasons of the retrospective operation of the rules.

[No. 1-5/71-FRY-I]

S. N. SINHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1230.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (समूह ग और घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1969 में क्रम सं० 8 के सामने स्तम्भ 11 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म में के फराशों और झाड़ूकशों में से 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा ; और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।"

[सं० 10-20/75-एल० डी० II]
पी० जी० रामरखियानी, उप सचिव

New Delhi, the 3rd August, 1976

G.S.R. 1230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Cattle Breeding Farms (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called Central Cattle Breeding Farms (Group C and D posts) Recruitment (amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of the Publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Cattle Breeding Farms (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1969, against S. No. 8, in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"25 per cent by transfer from Farashas and Sweepers in the Central Cattle Breeding Farms; and 75 per cent by direct recruitment".

[No. 10-20/75-L.D. II]
P. G. RAMRAKHIANI, Dy. Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1231.—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का वनस्पति तेल नियन्त्रक नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकारों के, स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उक्त आदेश के खण्डों के अधीन उक्त नियंत्रक की शक्तियों का उसके स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

राज्य सरकार का नाम	अधिकारियों का पदनाम	आदेश के खण्ड	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3	4
1. हरियाणा	1. निदेशक, संयुक्त निदेशक, और उपनिदेशक, खाद्य और नागरिक पूर्ति	13, 13-क और 13-ख	सम्पूर्ण राज्य में
	2. जिला मजिस्ट्रेट 3. जिला खाद्य और पूर्ति नियंत्रक 4 जिला खाद्य और पूर्ति अधिकारी। 5. सहायक खाद्य और पूर्ति अधिकारी		उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर
2. कर्नाटक	1. निदेशक, खाद्य और नागरिक पूर्ति	8-क, 13-क, और 13-ख	सम्पूर्ण राज्य में

[सं०-2-वी० पी० (2) 1/69/4309]

एस० वी० सम्पथ, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

Department of Food

New Delhi, the 4th August, 1976

G.S.R. 1231.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby authorises the officers, specified in column (2) of the Table below, of the State Governments specified in column (1), to exercise the powers of the said Controller under the clauses of the said Order, specified in the corresponding entry in column (3), within the area of jurisdiction specified in column (4), thereof :

Name of State Government	Designation of Officers	Clauses of the Order	Area of Jurisdiction
1	2	3	4
1. Haryana	1. Director, Joint Director, and Deputy Director, Food and Civil Supplies.	13, 13-A and 13-B	In the whole of the State
	2. District Magistrate 3. District Food and Supplies Controller. 4. District Food and Supplies Officers. 5. Assistant Food and Supplies Officers.		In their respective jurisdiction
2. Karnataka	1. Director, Food and Civil Supplies.	8-A, 13-A and 13-B	In the whole of the State.

[No. 2-VP(2)1/69/4309]

S.V. SAMPATH, Vegetable Oil Products Controller

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, क्रम सं० 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
"1—गड़ेरिया	8 (आठ)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	196-232	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अनधिक	आवश्यक :— किसी भेड़ फार्म में गड़ेरिया के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय प्राथमिक स्तर।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगा या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी/किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता"

[सं० फा० 25-16/76 एल डी II]

पी० जी० रामरखियानी, उप सचिव

New Delhi, the 7th August, 1976

G. S. R. 1232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Sheep Breeding Farm, Hissar (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Sheep Breeding Farm, Hissar, (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Sheep Breeding Farm Hissar (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971 for Serial No. 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
"1. Shepherd	8 (Eight)	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 196-232	Not applicable	Not exceeding 25 years	Essential : Having minimum one year's experience as Shepherd in a Sheep Farm. Desirable. Primary Standard.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. F-25-16/76-L.D. II]

P. G. RAMRAKHIANI, Dy. Secy.

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन भाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1233.—नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना का नाम नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 में, पैरा 59 के उपपैरा (4) के बाद निम्नलिखित उपपैरा रखा जाए, अर्थात् :

"(5) उपपैरा (3) में कुछ भी लिखा होने के बावजूद कोई भी सदस्य छंटनी किये जाने, फालतू होने और नौकरी की और आगे गुंजाइश न होने के मामले में, जिसे नियोक्ता, नाविक रोजगार अधिकारी और शिपिंग मास्टर द्वारा यथाविधि प्रमाणित किया गया हो, अपनी सेवा की समाप्ति पर निधि में जमा अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि निकलवा सकता है :

बशर्ते कि सदस्य उपयुक्त अनुसमर्थन दस्तावेजों के साथ आयुक्त को अन्तिम आहरण के लिए आवेदन पत्र देने से पूर्व अपनी अन्तिम नौकरी को किये हुए कम से कम 6 महीने की अवधि बीत चुकी हो।"

[एम० डब्ल्यू० एस० (22)/76]

दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 4th August, 1976

G.S.R. 1233.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), the Central Government hereby makes the follwing Scheme further to amend the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Seamen's Provident Fund (Amendment) Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, after sub-paragraph (4) of Paragraph 59, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (3), a member may withdraw the full amount standing to his credit in the Fund, on termination of his service in the case of retrenchment, redundancy and without any prospect of further scope of employment duly certified by the employer, Seamen's Employment Officer and the Shipping Master;

Provided that at least a period of six months has elapsed since his last employment, preceding the date on which the member makes the application for final withdrawal with the appropriate supporting documents to the Commissioner."

[MWS(22)/76]

D. C. AHIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1234.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन और परिवहन मंत्रालय में ग्रुप 'डी' के कुछ पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम नौवहन और परिवहन मंत्रालय (ग्रुप 'डी' पद) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हताएं :—वह व्यक्ति :

(क) जिस ने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए विशेष आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों में कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. वफ्तरी	32	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'डी' (अराजपत्रित)।	200-3-206-4-234 व०रो०-4-250	अचयन	25 वर्ष	मिडिल पास

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/ प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : खपरासी जिसकी कम से कम लगातार 3 वर्ष की ग्रेड सेवा हो। स्थानान्तरण : खपरासी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश्य अथवा समतुल्य पदों पर हो और जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं हों।	(i) अवर सचिव (स्था०)—अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (प्रशा०) सड़क पक्ष—सदस्य। (iii) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त स्तर का एक अधिकारी। —सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
2. जमादार	7	सामान्य केन्द्रीय सेवा	200-3-206-4 234-द०रो०-4-250	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3. चपरासी	119	ग्रुप 'डी' (अराजपत्रित) —यथोक्त—	रु० 196-3-220-द०रो०-3-232	लागू नहीं होता।	25 वर्ष	मिडिल पास
4. खलासी	5	—यथोक्त—	रु० 196-3-220-द०रो०-3-232	लागू नहीं होता।	25 वर्ष	वांछनीय :—प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड पास
5. फराश	11	—यथोक्त—	रु० 196-3-220 द०रो०-3-232	लागू नहीं होता	25 वर्ष	—यथोक्त—
6. झाड़ूकश	14	—यथोक्त—	रु० 196-3-220-द०रो०-3-232	लागू नहीं होता	25 वर्ष	—यथोक्त—

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	उन चपरासियों, जिनकी कम से कम 3 वर्ष की ग्रेड सेवा हो, की प्रोन्नति।	(i) अवर सचिव (स्था०)—अध्यक्ष। (ii) अवर सचिव (प्रशा०) सड़क पक्ष —सदस्य। (iii) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त स्तर का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण :— नौवहन और परिवहन मंत्रालय में झाड़ूकश और फराश का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों————75% उन झाड़ूकशों और फराशों आदि के स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास वे अर्हताएं नहीं हैं जो स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट हैं, परन्तु प्रारम्भिक साक्षरता का ज्ञान हो और हिन्दी पढ़ने की अपनी योग्यता का प्रमाण दे सकें और अपने मूल काडर में 5 वर्ष की सेवा की हो—25%	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा० सं० ई० एम०एस० (24)/76)]

इन्द्रजीत मुरगाई, अवर सचिव

New Delhi, the 30th July, 1976

G.S.R. 1234.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'D' posts in the Ministry of Shipping and Transport, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping and Transport (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay :—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, and other qualifications :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by and order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Daftry	32	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted)	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-selection	25 years	Middle Pass
2. Jamadar	7	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted)	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-selection	Not applicable	Not applicable
3. Peons	119	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	25 years	Middle pass

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion, failing which by transfer, and failing both by direct recruitment.	Promotion : Peons with at least 3 years' continuous service in the grade. Transfer : Persons holding similar or equivalent posts under the Central Government and possessing qualifications prescribed in column 7.	(i) U.S. (Estt.) —Chairman. (ii) U.S. (Admn.) Roads Wing. —Member (iii) An officer of appropriate status belonging to SCs/STs.—Member.	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion of Peons with at least 3 years' service in the Grade.	(i) U.S. (Estt.) —Chairman (ii) U.S. (Admn.) Roads Wing.—Member (iii) An officer of appropriate status belonging to SCs/STs.—Member	Not applicable
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : By transfer of persons holding posts of Sweeper and Farash in the Ministry of Shipping & Transport and possessing qualification specified in column 7.—75%. By transfer of Sweepers and Farashes etc., who may not possess the qualifications specified in column 7 but possess elementary literacy and give proof of ability in reading in Hindi and have put in five years service in the parent cadre -25%.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Khallasi	5	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	25 years	Desirable : Primary school standard pass	Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5. Farash	11	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	25 years	Desirable : Primary school standard pass	Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
6. Sweeper	14	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	25 years	Desirable : A pass in Primary School standard	Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[F. No. ENS(24)/76]
INDER JIT MURGAI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1976

सा० का० नि०.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी विभाग, सहायक इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी विभाग, सहायक इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल, सिविल इंजीनियरी विभाग, सहायक इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में, स्तम्भ 10 और 11 के नीचे, (1)(क) के नीचे विद्यमान टिप्पण को टिप्पण (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 2 :— यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को, उसके द्वारा सुसंगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर चयन के लिए बुलाया जाता है तो उससे ज्येष्ठ सभी कर्मचारी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं, स्वतः पात्र माने जाएंगे।"

[सं० 73/ई० (जी आर) 1/15/4]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 24th July, 1976

G.S.R. 1235.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Department of Civil Engineering, Assistant Engineers (Class II) Recruitments Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Department of Civil Engineering, Assistant Engineers, (Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways Department of Civil Engineering, Assistant Engineers (Class II) Recruitment Rules, 1965, under columns 10 and 11, the existing Note under (i)(a) shall be re-numbered as Note (1) and after Note (1) as so re-number, the following note shall be inserted, namely :—

"Note (2) :—In case a junior employee is called up for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all his seniors shall be held to be automatically eligible irrespective of whether or not they satisfy the relevant minimum service conditions."

[No. 73/E(GR)I/15/4]

सा० का० नि० 1236.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल, सिगनल इंजीनियरी विभाग, सहायक सिगनल और दूर संचार इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल, सिगनल इंजीनियरी विभाग, सहायक सिगनल और दूर संचार इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती (संशोधन) नियम 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी विभाग, सहायक सिगनल और दूर संचार इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में स्तम्भ 10 और 11 के नीचे (ii)(क) के नीचे विद्यमान टिप्पण को टिप्पण (1) के रूप के पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 2 :— यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को, उसके द्वारा सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर चयन के लिए बुलाया जाता है तो उससे ज्येष्ठ सभी कर्मचारी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं, स्वतः पात्र माने जाएंगे।"।

[सं० 73/ई० (जी० आर०) 1/17/1]

G.S.R. 1236.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Department of Signal Engineering, Assistant Signal and Telecommunication Engineers (Class II) Recruitment Rules, 1965 :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Department of Signal Engineering, Assistant Signal and Telecommunication Engineers (Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways Department of Signal Engineering, Assistant Signal and Tele-communication Engineers (Class II) Recruitment Rules, 1965, under columns 10 and 11, the existing Note under (i) (a) shall be re-numbered as Note (1) and after Note (1) as so re-numbered, the following note shall be inserted, namely :—

"Note (2) :—In case a junior employee is called up for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all his seniors shall be held to be automatically eligible irrespective of whether or not they satisfy the relevant minimum service conditions."

[No. 73/E(GR) I/17/1]

सा० का० नि० 1237.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल वैद्युत इंजीनियरी विभाग, सहायक वैद्युत इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल, वैद्युत इंजीनियरी विभाग, सहायक वैद्युत इंजीनियर (पद 2) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल वैद्युत इंजीनियरी विभाग, सहायक इंजीनियर (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में, स्तम्भ 10 और 11 के नीचे (i) (क) के नीचे विद्यमान टिप्पण को टिप्पण (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"टिप्पण 2 :— यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी, को उसके द्वारा सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तें को पूरा किए जाने के आधार पर चयन के लिए बुलाया जाता है तो उससे ज्येष्ठ सभी कर्मचारी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं, स्वतः पात्र माने जाएंगे।"।

[सं० 73/ई० (जी० आर०) 1/19/1]

G.S.R. 1237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Department of Electrical Engineering, Assistant Electrical Engineers (Class II), Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Department of Electrical Engineering, Assistant Electrical Engineers (Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways Department of Electrical Engineering, Assistant Electrical Engineers (Class II) Recruitment Rules, 1965, under columns 10 and 11, the existing Note under (i) (a) shall be re-numbered as Note (1) and after Note (1) as so re-numbered the following note shall be inserted, namely :—

"Note (2) :—In case a junior employee is called up for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all his seniors shall be held to be automatically eligible irrespective of whether or not they satisfy the relevant minimum service conditions."

[No. 73/E(GR)I/19/1]

सा० का० नि० 1238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल, यांत्रिक इंजीनियरी और परिवहन (विद्युत) विभाग, सहायक यान्त्रिक इंजीनियर और सहायक निर्माण प्रबन्धक (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल, यांत्रिक इंजीनियरी और परिवहन (विद्युत) विभाग, सहायक यांत्रिक इंजीनियर और सहायक निर्माण प्रबन्धक (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी और परिवहन (विद्युत) विभाग, सहायक यांत्रिक इंजीनियर और सहायक निर्माण प्रबन्धक (वर्ग 2) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में स्तम्भ 10 और 11 के नीचे (i) (क) के नीचे विद्यमान टिप्पण को टिप्पण (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 2 :— यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को, उसके द्वारा सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तें को पूरा किए जाने के आधार पर चयन के लिए बुलाया जाता है तो उससे ज्येष्ठ सभी कर्मचारी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे सुसंगत न्यूनतम सेवा की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं स्वतः पात्र माने जाएंगे।"।

[सं० 73/ई० (जी० आर०) 1/20/3]

बी० मोहन्ती, सचिव

G.S.R. 1238.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Department of Mechanical Engineering and Transportation (Power), Assistant Mechanical Engineers and Assistant Works Managers' (Class II) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Department of Mechanical Engineering and Transporation (Power), Assistant Mechanical Engineers and Assistant Works Managers (Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways Department of Mechanical Engineering and Transportation (Power), Assistant Mechanical Engineers and Assistant Works Managers (Class II) Recruitment Rules, 1965, under columns 10 and 11, the existing Note under (i) (a) shall be renumbered as Note (1) and after Note (1) as so re-numbered, the following note shall be inserted, namely :—

"Note (2) :—In case a junior employee is called up for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all his seniors shall be held to be automatically eligible irrespective of whether or not they satisfy the relevant minimum service conditions."

[No. 73/E(GR)I/20/3]

B. MOHANTY, Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1239.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सूचना सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के नियम 6-क के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि उन व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4 के खाली स्थानों को भरने में हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयुक्त पद्धति से उक्त सेवा के ग्रेड-4 में शामिल पदों के कार्यों का निष्पादन करने के लिए 1-7-76 को या इससे पहले नियुक्त किए गए थे और जिन्होंने उक्त सेवा के ग्रेड-4 में शामिल पदों का कार्य और दायित्व कम से कम पांच वर्ष निभाया है, ग्रेड-4 में, नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने वाली चयन समिति द्वारा उनकी स्क्रीनिंग किए जाने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा।"

[सं० ए०-12034/6/71-सी०आई०एस०संशोधन संख्या-72]

एस० रामस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th August, 1976

G.S.R. 1239.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Information Service (Second Amendment) Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publications in the official Gazette.

2. In rule 6A of the Central Information Service Rules, 1959, the following proviso shall be inserted at the end namely :—

"Provided further that persons appointed on or before 1-7-76 to discharge the duties and functions of the posts included in Grade IV of the Central Information Service to make good the short fall in the filling up of vacancies in the grade by the above mentioned method and who have discharged the duties and responsibilities of the post included in Grade IV of the Service for at least five years shall be appointed to thte Grade after they are screened by a Selection Committee to determine their suitability for appointment."

[F. No. A.12034/6/71-CIS Amendment No.72]

S. RAMASWAMY, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1240.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय में कल्याण प्रशासक (परिवार नियोजन) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम मंत्रालय कल्याण प्रशासक (परिवार नियोजन) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कल्याण प्रशासक (परिवार नियोजन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय।	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200-रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधे भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा/स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति/पर स्थानान्तरण/स्थानान्तर सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550-900/रु० 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान में क्रमशः 3/8 वर्ष सेवा की हो और जिन्हें लेखा स्थापन और परिवार नियोजन के मामलों में अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[सं० ए० 12018/2/-75-एम०II]

पी० के० सेन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd August, 1976

G.S.R. 1240.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Welfare Administrator (Family Planning) in the Ministry of Labour namely :—

1. Short title and commencement—(i) These rules may be called the Ministry of Labour Welfare Administrator (Family Planning) Recruitment Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of post, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications : The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification : No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Welfare Administer (Family Planning)	1	General Central Service, Group B, Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 650-20-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer, grades from which promotion to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation/transfer.	Transfer on deputation/transfer : Officers holding anologous posts or with at least 3/8 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900/Rs. 425-700 or equivalent respectively and having experience in Accounts, Establishment and Family Planning matters (period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)	Not apllicable	As required under Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A-12018/2/75-M-III]
P. K. SEN, Under Secy.

CORRIGENDUM

G.S.R. 1241.—In the notification (English) of the Government of India, in the Ministry of Labour GSR No. 254, dated the 4th February, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Sub-Section (1) of Section 3 at pages 492 and 493 :

(1) in Sub-rule (1) of rule 2,
for Columns 1 to 13
Read 2 to 14
insert Column 1
Read Sl. No. 2
against S. No. 1

[No. A-12018/4/72-FAC]
V. CHANDRA MOWLI, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1242.—केन्द्रीय सरकार आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, आयुध नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयुध (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध नियम, 1962 से उपाबद्ध अनुसूची-II में,—

(i) मद सं० 3 से संबंधित प्रविष्टियों में,—

(क) स्तम्भ 7 में, "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट", शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ 5 में, "द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट", शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जायेंगे;

(ii) मद सं० 4 से संबंधित प्रविष्टियों में,—

(क) स्तम्भ 7 में, "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) स्तम्भ 5 में, "प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जायेंगे;

(3) मद सं० 5 से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 5 में, "द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट", शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जायेंगे।

[सं० एफ० 21/19/74-जी० पी० ए०-II]
च० चक्रवर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th August, 1976

G.S.R. 1242.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II appended to the Arms Rules, 1962,—

(i) in the entries relating to Item No. 3,—

(a) in column 7, for the words "First Class Magistrate", the words "Executive Magistrate" shall be substituted;

(b) in column 5, for the figures, abbreviation and words "IInd Class Magistrate", the words "Executive Magistrate" shall be substituted;

(ii) in the entries relating to Item No. 4,—

(a) in column 7, for the words "First Class Magistrate" the words "Executive Magistrate" shall be substituted;

(b) in column 5, for the words "First or Second Class Magistrate" the words "Executive Magistrate" shall be substituted;

(iii) in the entries relating to Item No. 5, in column 5, for the figures, abbreviation and words "IInd Class Magistrate", the words "Executive Magistrate" shall be substituted.

[No. F. 21/19/74-GPA. II]
C. CHAKRABORTY, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1976

सा० का० नि० 1243.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 पद) भर्ती संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक/मानव विज्ञान सहायक प्रिवरेटर के पदों और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
"ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भौतिक और सांस्कृतिक)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अलिपिकवर्गीय)	425-15-500-ई०बी० 15-560-20-700 ई० (पुनरीक्षित वेतनमान)	लागू नहीं होता	25 और 30 वर्ष बीच	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में मास्टर की उपाधि साथ में सामाजिक या भौतिक मानव विज्ञान विशेषता का साक्ष्य ।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	2 वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता"

[सं० एफ-9-57/74-सी ए आई (I)]

बलदेव महाजन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 10th August, 1976

G.S.R. 1243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the Anthropological Survey of India (General Central Services Class III posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Anthropological Survey of India (General Central Services Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Anthropological Survey of India (General Central Services Class III posts) Recruitment Rules, 1962, for the post of Senior Technical Assistant/Anthropological Assistant/Preparator and the entries relating there to, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"Senior Technical Assistant (Physical and Cultural)	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700) (Revised Scale)	Not applicable	Between 25 and 30 years

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Master's degree in Anthropology of a recognised University with evidence of specialisation in social or physical Anthropology.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	Not applicable"

[File No. F. 9-57/74-CAI(I)]

BALDEV MAHAJAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1976

कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976

सा०का०नि० 1244.—487 (इ) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 3छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1—प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 है।

(2) इस स्कीम के उपबन्ध 1976 की अगस्त के पहले दिन को प्रवृत्त होंगे।

(3) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 11ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू होगी, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अन्तर्गत आते हैं परन्तु इस स्कीम के उपबन्ध असम राज्य के चाय के कारखानों को लागू नहीं होंगे।

2 परिभाषाएं :—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1948 (1948 का 46) अभिप्रेत है;

(ख) "बीमा प्रसुविधा" से किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में के औसत अतिशेष से सहबद्ध ऐसा संदाय अभिप्रेत है, जो उस कर्मचारी जब वह कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य रहता है तब, मृत्यु हो जाने पर उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अन्यथा उसका हकदार हो, संदेय हो;

(ग) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों का, जो यहां प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम अथवा कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में क्रमशः दिया गया है।

3. स्कीम का प्रशासन:—यह स्कीम अधिनियम की धारा 3क के अधिन गठित न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित की जाएगी।

4. बोर्ड द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन:—(1) बोर्ड संकल्प द्वारा अपने अध्यक्ष या आयुक्त को या दोनों को आकस्मिकताओं पर तथा बीमा निधि के प्रशासन के लिए अपेक्षित वस्तुओं के प्रदाय एंव क्रम पर व्यय की मंजूरी ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए और जहां ऐसा व्यय उन सीमाओं से अधिक है जिन तक अध्यक्ष या आयुक्त को किसी एक मद पर व्यय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है वहां बजट में वित्तीय उपबन्ध के अधीन रहते हुए देने के लिए सशक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड संकल्प द्वारा अपने अध्यक्ष या आयुक्त को या दोनों को अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) और (2) में वर्णित अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जिन्हें अध्यक्ष या आयुक्त इस स्कीम के दक्षतापूर्वक प्रशासन के लिए आवश्यक समझे नियुक्ति करने के लिए भी सशक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अनुसरण में अध्यक्ष या आयुक्त द्वारा व्यय की सभी मंजूरियों की रिपोर्ट व्यय मंजूर किए जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र बोर्ड को दी जाएगी।

5. आयुक्त की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां—आयुक्त आकस्मिकताओं पर तथा बीमा निधि के प्रशासन के लिए अपेक्षित वस्तुओं के प्रदाय रख-रखाव और क्रय पर होने वाले व्यय को बजट के वित्तीय उपबन्धों के अधीन और उन सीमाओं के अधीन रहते हुए जिन तक उसे बोर्ड द्वारा समय समय पर किसी एक मद पर व्यय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए बोर्ड को निर्देश किए बिना प्राधिकृत कर सकेगा।

6. अभिदाय :—(1) अधिनियम की धारा 3छ की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन नियोजक और केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय अभिदाय की संगणना आधारिक मजदूरी महंगाई भत्ते (जिसके अन्तर्गत किसी खाद्य नियायत का नकद मूल्य भी है) और प्रतिधारण भत्ते के यदि कोई हो जो पूरे मास के दौरान वस्तुतः लिया गया हो भले ही वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर दिया गया हो आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक अभिदाय की संगणना रुपए के चतुर्थांश के निकटतम की जाएगी और 12.5 पैसे या इससे अधिक को रुपए या अगला उच्च चतुर्थांश गिना जाएगा।

7. अभिदायों के संदाय की पद्धति:—(1) नियोजक द्वारा अभिदाय ऐसी दर से जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 3छ की उपधारा (4) के अधीन समय-समय पर नियत करें प्रशासनिक प्रभारों सहित बीमा निधि को, प्रत्येक मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर एक अलग बैंक ड्राफ्ट, चैक या नगद प्रेषण द्वारा ऐसी रीती से भेजे जाएंगे जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। प्रेषण का खर्च यदि कोई हो, नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिन्हें नियोजक के सीधे नियोजित किया हो और उन कर्मचारियों की बाबत भी, जो किसी ठेकेदार द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित किए गए हों नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय अदा करने का उत्तरदायित्व नियोजक का ही होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार अपना अभिदाय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र बीमा निधि में जमा कर देगी।

(4) आयुक्त नियोजकों से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट या चैक भारतीय स्टेट बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में चालू खाते में जमा करेगा।

8. नियोजक के अंश का कर्मचारियों की मजदूरी में से न काटा जाना:—तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी नियोजक को इस स्कीम के अधीन अपने द्वारा संदेय नियोजक-अभिदाय को न तो कर्मचारियों की मजदूरी में से काट लेने और न ही उनसे किसी अन्य रीति से वसूल करने का हक होगा।

9. नियोजकों के कर्त्तव्य: —(1) प्रत्येक नियोजक आयुक्त को ऐसे प्ररूपों में विवरणियां भेजेगा जो इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए। (2) प्रत्येक नियोजक अपने द्वारा बीमा निधि में अभिदत्त रकमों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट लेखा रखेगा जिनका निर्देश बोर्ड समय-समय पर दे, और प्रत्येक नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने कर्मचारियों को बीमा निधि में ये ऐसे संदाय करने में बोर्ड की सहायता करे जो बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन मंजूर किए जाते हैं।

(3) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्ररूप में जिसे आयुक्त विनिर्दिष्ट करें अपने नियोजन में के प्रत्येक ऐसे कर्मचारी की बाबत, जो निधि का सदस्य है एक अभिदाय-रजिस्टर रखेगा। ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की बाबत नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय को नियोजक द्वारा प्रतिमास उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) इस पैरे में इससे पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी बोर्ड साधारणतया नियोजकों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समुचित समझे और ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करना प्रत्येक नियोजक का कर्त्तव्य होगा।

10. आयुक्त या निरीक्षक द्वारा अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण प्रत्येक नियोजक जब कभी आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या कोई निरीक्षक वैसी अपेक्षा करे जब उसके समक्ष निरीक्षणार्थ के अभिलेख तथा अन्य रजिस्टर प्रस्तुत करेगा जो तत्समय उसके कब्जे में हों ।

11. नियोजकों को प्ररूपों का प्रदाय :—आयुक्त इस स्कीम में निर्दिष्ट प्ररूप मांग करने पर उतनी संख्या में जितनी अत्यन्त आवश्यक हो नियोजकों को निशुल्क देगा ।

12. प्रशासन खाता—अधिनियम की धारा 3छ की उपधारा (4) के अधीन नियोजकों और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अभिदाय एक अलग खाते में जमा किए जाएंगे जिसका शीर्षक होगा "बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन खाता" और इस स्कीम के प्रशासन के संबंध में सभी व्ययों की जो इस स्कीम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के खर्च से भिन्न हों पूर्ति इस खाते में से की जाएगी ।

13. निक्षेप-सहबद्ध बीमा निधि खाता—नियोजक अभिदाय के रूप में प्राप्त रकम और धारा 3छ की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन जीमा निधि में केन्द्रीय सरकार का अभिदाय भी "निक्षेप सहबद्ध बीमा निधिखाता" में जमा किया जाएगा और इस स्कीम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के खर्चे सहे सभी व्ययों की पूर्ति इस खाते में से की जाएगी ।

14. बीमा निधि के धन का विनिधान—(1) बीमा निधि का सभी धन भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अथवा ऐसे अन्य अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नियत करे और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दे, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से खण्ड (ड) तक में वर्णित प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब ऐसी प्रतिभूतियां भारत में पूंजी और ब्याज इन दोनों की बाबत संदेय हों ।

(2) किसी विनिधान से उद्भूत किसी हानि, यदि कोई हो, की बाबत उपगत सभी व्यय बीमा निधि पर प्रभारित किए जाएंगे ।

15. ब्याज—वसूल किया गया सभी ब्याज, भाड़ा तथा अन्य आय और विक्रय या विनिधान से हुआ शुद्ध लाभ या हानि, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखे का संव्यवहार नहीं है, बीमा निधि में यथास्थिति जमा किए जाएंगे या नाम डाले जाएंगे ।

16. बीमा निधि का व्ययन—(1) अधिनियम और इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बीमा निधि, जिसके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा नहीं है, इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार प्रसुविधाओं के संदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, खर्च नहीं की जाएगी ।

(2) बीमा निधि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रचालित की जाएगी जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं ।

17. प्रशासन के व्यय—इस स्कीम के प्रशासन सम्बन्धी सभी व्ययों की पूर्ति "बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा" में से की जाएगी ।

18. लेखाओं के प्ररूप—बीमा निधि के लेखे जिनके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा भी है, आयुक्त द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखे जाएंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

19. लेखा परीक्षा—(1) बीमा निधि के लेखाओं की जिसके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा भी है, परीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

(2) लेखा परीक्षा पर हुए प्रभार बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा में से दिए जाएंगे ।

20. बजट—(1) आयुक्त, प्रतिवर्ष जनवरी में होने वाली बोर्ड की बैठक में उसके समक्ष एक बजट रखेगा जिसमें अभिदायों से और प्रशासनिक प्रभारों के उद्ग्रहण से होने वाली अधिसंभाव्य प्राप्तियां और वह व्यय दिखाया जाएगा जिसे ठीक अगले वित्तीय वर्ष के दौरान करने का प्रस्ताव है । बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बजट मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को, प्रतिवर्ष 15 फरवरी, से पहले, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, बजट मंजूर करने से पूर्व, उसमें ऐसे उपान्तरण कर सकेगी जिन्हें वह वांछनीय समझे ।

(3) आयुक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर की गई निधियों का बजट सम्बन्धी पुनर्विनियोग वर्ष के दौरान किसी भी समय कर सकेगा, परन्तु यह तब जब—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर की गई कुल रकम में कोई बढ़ोतरी न हो ;

(ii) ऐसा प्रशासन सम्बन्धी उन व्ययों की पूर्ति के लिए ही किया जाए जिनकी पूर्ति बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा में से पैरा 17 के अनुसार की जानी है और

(iii) इस प्रकार किए गए प्रत्येक पुनर्विनियोग की रिपोर्ट उसके द्वारा बोर्ड को उसकी अगली बैठक में दी जाए ।

(4) आयुक्त, किसी वित्तीय वर्ष के लिए, विस्तार सहित ऐसे अनिवार्य व्यय के प्राक्कलनों और कारणों को देते हुए, जिसका उस वर्ष के दौरान उपगत होना संभाव्य है, और जिसके लिए मंजूर बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है तथा जो उपधारा (3) के उपबन्ध अन्तर्गत नहीं आता, बोर्ड के समक्ष एक अनुपूरक बजट रखेगा । बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित अनुपूरक बजट, बोर्ड के समक्ष उसके रखे जाने से एक मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) वित्तीय वर्ष के मंजूर बजट के आधिक्य में आयुक्त द्वारा किए गए किसी व्यय को, जो उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है, रिपोर्ट बोर्ड को, उस आधिक्य के हो जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, उसके विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए, की जाएगी ।

21. बीमा प्रसुविधा के मापमान और कर्मचारी द्वारा रखा जाने वाला न्यूनतम अतिशेष—(1) किसी ऐसे कर्मचारी की, जो कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य है, मृत्यु हो जाने पर, मृत व्यक्ति के भविष्य निधि में के धन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति, को, ऐसे धन के अतिरिक्त, दस हजार रुपए से अनधिक उतनी रकम और दी जाएगी जितनी पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान उस निधि में मृतक के खाते में औसत अतिशेष के बराबर होगी :

परन्तु यह तब जब मृतक कर्मचारी के खाते में औसत अतिशेष पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय एक हजार रुपए से कम न हो ।

स्पष्टीकरण—किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में निधि में औसत अतिशेष का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, कर्मचारी और नियोजक द्वारा अभिदायों की कुल रकम, जो सुसंगत अवधि के दौरान देय हो, चाहे वह उस पर ब्याज सहित संदत्त कर दी गई हो या असंदत्त रह गई हो, लेखे में ली जाएगी ।

(2) किसी ऐसे अंशकालिक कर्मचारी की दशा में, जो एक से अधिक कोयला खानों में सेवा करते हुए भविष्य निधि का सदस्य था, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा का परिणाम पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान निधि में उसके सभी खातों में कुल अतिशेष के औसत के निर्देश से निर्धारित किया जाएगा ।

22. बीमा प्रसुविधा—किसे संदेय है—(1) कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस स्कीम के अधीन किया गया नामनिर्देशन समझा जाएगा और बीमे की रकम ऐसे नामनिर्देशिन या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगी ।

(2) यदि कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है अथवा नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम जमा रकम के एक भाग से है तो, यथा-स्थिति सारी रकम या उसका वह भाग जिससे नामनिर्देशन का संबंध नहीं है, उसके कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर अंशों में संदेय हो जाएगी :

परन्तु निम्नलिखित को कोई अंश संदेय नहीं होगा—

(क) वह पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है ;

(ख) मृतक पुत्र के वे पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है ;

(ग) वे विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं ;

(घ) किसी मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं;

यदि खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य विद्यमान है :

परन्तु यह और कि किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और उसके बालक बराबर भागों में अपने बीच केवल उसी अंश को प्राप्त करेंगे जिसे उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जब वह कर्मचारी का उत्तरजीवी रहा होता और उसकी मृत्यु के समय उसने वयस्कता की आयु न प्राप्त की होती।

(3) ऐसी किसी दशा में, जिसमें उपधारा (1) और (2) के उपबंध लागू नहीं होते, पूरी रकम उस व्यक्ति को संदेय होगी जो विधि पूर्वक उसका हकदार है।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, कर्मचारी के उसकी मृत्यु के पश्चात् पैदा हुआ बालक को यदि वह जीवित पैदा हुआ है तो, उसी प्रकार माना जाएगा जैसे उसकी मृत्यु से पूर्व पैदा हुए उत्तरजीवी बालक को माना जाता है।

23. बीमे की रकम—कैसे अदा की जाएगी—(1) नामनिर्देशिती या अन्य दावेदार इस स्कीम के अधीन संदाय का दावा करने के लिए लिखित आवेदन ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, नियोजक की मार्फत आयुक्त को भेजेंगे।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस स्कीम के अधीन कोई रकम दी जानी है अवयस्क है या पागल है तो, संदाय, ऐसे व्यक्तियों को संदाय के सम्बन्ध में कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में दिए गए उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(3) इस स्कीम के अधीन किया जाने वाला संदाय निक्षेप के रूप में किसी बचत बैंक खाते में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों अथवा अन्य दावेदारों के नाम में किया जाएगा।

24. रजिस्टर, अभिलेख आदि—आयुक्त, कर्मचारियों की बाबत रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार किसी कर्मचारी, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों, अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को पहचानने के प्रयोजनार्थ, किसी पहचानपत्र, टोकन या डिस्क के स्वरूप या डिजाइन को तथा ऐसी अन्य औपचारिकताओं को, जिन्हें उक्त प्रसुविधा के संदाय के सम्बन्ध में पूरा किया जाना है, ऐसे आवधिक सत्यापन के अधीन रहते हुए जो आवश्यक समझा जाए, बोर्ड के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

25. इस स्कीम के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट—बोर्ड, पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट, प्रति वर्ष 15 सितम्बर से पूर्व अनुमोदित करेगा और उसे 30 सितम्बर से पूर्व, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

26. निदेश जारी करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या आयुक्त को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह स्कीम के समुचित प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

27. ऐसी कोयला खानों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध जिनकी बाबत इस स्कीम के उपबन्धों से छूट के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं :—

(1) (i) आयुक्त, आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसे यह स्कीम लागू होती है, उस कर्मचारी से आवेदन प्राप्त हो जाने पर, इस स्कीम के सभी या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा :

परन्तु यह तब जबकि वह कर्मचारी, कोयला खान के नियमों के अनुसार, और जीवन बीमा के रूप में, चाहे वह भविष्य निधियों में उनके निक्षेपों से सहबद्ध हो या न हो, प्रसुविधाओं का, कोई अलग अभिदाय, या प्रीमियम का संदाय, किए बिना, उपयोग कर रहा हो और ऐसी प्रसुविधाएं इस स्कीम के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल हों।

(ii) जहां किसी कर्मचारी को यथापूर्वोक्त छूट दी गई है वहां वह नियोजक उस कर्मचारी के सम्बन्ध में ऐसे लेखे रखेगा, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं देगा जिनका निदेश आयुक्त दे और ऐसे विनिधानों का संदाय करेगा जिनका निदेश केन्द्रीय सरकार दे।

(2) कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन, आयुक्त को आवेदन करके यह अनुरोध कर सकेगा कि स्कीम की प्रसुविधाएं उसे दी जाएं।

(3) किसी भी कर्मचारी को प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट नहीं दी जाएगी और न ही उसे दी गई छूट रद्द हो जाने पर दुबारा के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(4) (i) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, कर्मचारियों के किसी वर्ग को, जिसे यह स्कीम लागू होती है, ऐसे प्ररूप में, जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, उसके लिए आवेदन प्राप्त हो जाने पर, इस स्कीम के सभी या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी :

परन्तु यह तब जबकि कर्मचारियों का ऐसा वर्ग, कोयला खान के नियमों के अनुसार, जीवन बीमा के रूप में, चाहे वह भविष्य निधि में उनके निक्षेपों से सहबद्ध हो या न हो, प्रसुविधाओं का, कोई अलग अभिदाय, या प्रीमियम का संदाय, किये बिना उपभोग कर रहा हो, और ऐसी प्रसुविधाएं इस स्कीम के अधीन सम्बन्धित प्रसुविधाओं के अधिक अनुकूल हों।

(ii) जहां कर्मचारियों के किसी वर्ग को यथापूर्वोक्त छूट दी गई है वहां वह नियोजक उस कर्मचारी के सम्बन्ध में ऐसे लेखे रखेगा, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं देगा जिनका निदेश आयुक्त दे और ऐसे विनिधानों का संदाय ऐसी रीति से करेगा जिसका निदेश केन्द्रीय सरकार दे।

(5) कर्मचारियों का वह वर्ग, जिसे उपधारा (4) के अधीन छूट दी गई है या ऐसे वर्ग के कर्मचारियों की बहुसंख्या, आयुक्त को आवेदन करके, यह अनुरोध कर सकेगी कि उसे इस स्कीम की प्रसुविधाएं दी जाएं।

(6) कर्मचारियों के किसी वर्ग को अथवा ऐसे वर्ग के कर्मचारियों की बहुसंख्या को प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट नहीं दी जाएगी और न ही उसे दी गई छूट रद्द हो जाने पर दुबारा छूट के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(7) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त किसी ऐसे कोयला खान के सम्बन्ध में, जिनकी बाबत अधिनियम की धारा 11-ग के अधीन छूट का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, उस आवेदन का निपटारा होने तक, इस स्कीम के उपबन्धों को ऐसी रीति से शिथिल कर सकेगा जिसका निदेश वह दे।

[सं० एस० 35012(2)/76—भ०नि०-2(iii)]

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976

सा०का०नि० 1245.— 488(इ).—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय I—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 है ।

(2) इस स्कीम के उपबन्ध 1976 की अगस्त के पहले दिन को प्रवृत्त होंगे ।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (2) और धारा 17(2-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यह स्कीम ऐसे सभी कारखानों तथा अन्य स्थापनों के कर्मचारियों को लागू होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं परन्तु इस स्कीम के उपबन्ध आसाम राज्य के चाय के कारखानों को लागू नहीं होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इस स्कीम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्य या अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "बीमा प्रसुविधा" से किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में के औसत अतिशेष से सहबद्ध ऐसा संदाय अभिप्रेत है, जो उस कर्मचारी की, जब वह कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य रहता है, तब, मृत्यु हो जाने पर उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अन्यथा उसका हकदार हो, संदेय हो;

(ग) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों का, जो यहां प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में क्रमशः दिया गया है ।

3. स्कीम का प्रशासन :—यह स्कीम अधिनियम की धारा 5-क के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रशासित की जायेगी ।

4. प्रादेशिक समिति :—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के अधीन स्थापित प्रादेशिक समिति इस स्कीम के प्रशासन सम्बन्धी ऐसे मामलों में, जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड उसे समय-समय पर निर्दिष्ट करे, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों पर, केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देगी,—

(क) अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त कारखानों और स्थापनों दोनों ही से और अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अन्य कारखानों और स्थापनों से इस स्कीम के अधीन अभिदायों की वसूली की प्रगति; और

(ख) अभियोजनों का शीघ्र निपटान ।

5. केन्द्रीय बोर्ड द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजना :—(1) केन्द्रीय बोर्ड संकल्प द्वारा, अपने अध्यक्ष या आयुक्त को, या दोनों को, आकस्मिकताओं पर तथा बीमा निधि के प्रशासन के लिए अपेक्षित वस्तुओं के प्रदाय एवं क्रम पर व्यय की मंजूरी, ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाएं और जहां ऐसा व्यय उन सीमाओं से अधिक है, जिन तक अध्यक्ष या आयुक्त को किसी एक पद पर व्यय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वहां बजट में वित्तीय उपबन्ध के अधीन रहते हुए, देने के लिए, सशक्त कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय बोर्ड, संकल्प द्वारा, अपने अध्यक्ष या आयुक्त को, या दोनों को, अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) और (3) में वर्णित अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की, जिन्हें अध्यक्ष या आयुक्त इस स्कीम के दक्षतापूर्वक प्रशासन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्ति करने के लिए भी सशक्त कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अनुसरण में अध्यक्ष या आयुक्त द्वारा व्यय की सभी मंजूरियों की रिपोर्ट, व्यय मंजूर किए जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, केन्द्रीय बोर्ड को दी जायेगी ।

6. आयुक्त की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां :—आयुक्त, आयुक्त, आकस्मिकताओं पर तथा बीमा निधि के प्रशासन के लिए अपेक्षित वस्तुओं के प्रदाय, रख-रखाव और क्रय पर होने वाले व्यय को, बजट के वित्तीय उपबन्धों के अधीन और उन सीमाओं के अधीन रहते हुए, जिन तक उसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर किसी एक मद पर व्यय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, केन्द्रीय बोर्ड को निर्देश किए बिना, प्राधिकृत कर सकेगा ।

7. अभिदाय :—(1) अधिनियम की धारा 6-ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन नियोजक और केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय अभिदाय की संगणना आधारित मजदूरी, मंहगाई भत्ते (जिसके अन्तर्गत किसी खाद्य रियायत का नकद मूल्य भी है) और प्रतिधारण भत्ते के, यदि कोई हो, जो पूरे मास के दौरान वस्तुतः लिया गया हो, भले ही वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर किया गया हो, आधार पर की जायेगी ।

(2) प्रत्येक अभिदाय की संगणना रुपये के चतुर्थांश के निकटतम की जाएगी और 12.5 पैसे या इससे अधिक को रुपये का अगला उच्च चतुर्थांश गिना जाएगा ।

8. अभिदायों के संदाय की पद्धति :—(1) नियोजक द्वारा अभिदाय ऐसी दर से जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 6-ग की उपधारा (4) के अधीन समय-समय पर नियत करे, प्रशासनिक प्रभारों सहित, बीमा निधि को, प्रत्येक मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर एक अलग बैंक ड्राफ्ट, चेक या नकद प्रेषण द्वारा ऐसी रीति से भेजे जाएंगे जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । प्रेषण का खर्च यदि कोई हो, नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा ।

(2) ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिन्हें नियोजक ने सीधे नियोजित किया हो और उन कर्मचारियों की बाबत भी, जो किसी ठेकेदार द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित किए गए हों, नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय अदा करने का उत्तरदायित्व नियोजक का ही होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार अपना अभिदाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र बीमा निधि में जमा कर देगी ।

(4) आयुक्त नियोजकों से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट या चेक भारतीय स्टेट बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में चालू खाते में जमा करेगा ।

9. नियोजक के अभिदाय का कर्मचारियों की मजदूरी में से न काटा जाना :—तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी नियोजक को इस स्कीम के अधीन अपने द्वारा संदेय नियोजक अभिदाय को न तो कर्मचारियों की मजदूरी में से काट लेने और न ही उनसे किसी अन्य रीति से वसूल करने का हक होगा ।

10. नियोजकों के कर्तव्य :—(1) प्रत्येक नियोजक आयुक्त को ऐसे प्ररूपों में विवरणियां भेजेगा जो इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) प्रत्येक नियोजक अपने द्वारा बीमा निधि में अभिदत्त रकमों, के सम्बन्ध में ऐसे लेखे रखेगा जिनका निर्देश बोर्ड समय-समय पर दे और प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मचारियों

को बीमा निधि में से ऐसे संदाय करने में बोर्ड की सहायता करे जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन मंजूर किए जाते हैं।

(3) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्ररूप में जिसे आयुक्त विनिर्दिष्ट करें अपने नियोजन में के प्रत्येक ऐसे कर्मचारी की बाबत जो निधि का सदस्य है—एक अभिदाय रजिस्टर रखेगा। ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की बाबत नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय को नियोजक द्वारा प्रतिमास उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) इस पैरे में इससे पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी बोर्ड साधारणतया नियोजकों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समुचित समझे और ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करना प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य होगा।

11. आयुक्त या निरीक्षक द्वारा अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण :—प्रत्येक नियोजक जब कभी आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या कोई निरीक्षक वैसी अपेक्षा करे, तब उसके समक्ष निरीक्षणार्थ वे अभिलेख तथा अन्य रजिस्टर प्रस्तुत करेगा जो तत्समय उसके कब्जे में हों।

12. नियोजकों को प्ररूप का प्रदाय :—आयुक्त इस स्कीम में निर्दिष्ट प्ररूप मांग करने पर उतनी संख्या में जितनी अत्यंत आवश्यक हो, नियोजकों को निःशुल्क देगा।

13. प्रशासन खाता:—अधिनियम की धारा 6ग की उपधारा (4) के अधीन नियोजकों और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अभिदाय एक अलग खाते में जमा किए जाएंगे जिसका शीर्षक होगा 'बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन खाता' और इस स्कीम के प्रशासन के संबंध में सभी व्ययों की जो इस स्कीम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के खर्च से भिन्न हों पूर्ति, इस खाते में से की जाएगी।

14. निक्षेप-सहबद्ध बीमा निधि खाता:—नियोजक अभिदाय के रूप में प्राप्त रकम और धारा 6ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन बीमा निधि में प्राप्त केन्द्रीय सरकार का अभिदाय भी 'निक्षेप-सहबद्ध बीमा निधि खाता' में जमा किया जाएगा और इस स्कीम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के खर्चे मद्दे सभी व्ययों की पूर्ति इस खाते में से की जायेगी।

15. बीमा निधि के धन का विनिधान:—(1) बीमा निधि का सभी धन भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अथवा ऐसे अन्य अनुसूचित बैंक में जमा किया जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नियत करे और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नियत करे, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से खंड (घ) तक में वर्णित प्रतिभूतियों में विहित किया जायेगा :

परन्तु यह तब तक जब ऐसी प्रतिभूतियां भारत में पूंजी और ब्याज इन दोनों की बाबत संदेय हों।

(2) किसी विनिधान से उद्भूत किसी हानि, यदि कोई हो, की बाबत उपगत सभी व्यय बीमा निधि पर प्रभारित किए जायेंगे।

16. ब्याज :—वसूल किया गया सभी ब्याज, भाड़ा तथा अन्य आय और विक्रय, या विनिधान से हुआ शुद्ध लाभ या हानि, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखे का संव्यवहार नहीं है, बीमा निधी में यथास्थिति जमा किए जाएंगे या नामे डाले जायेंगे।

17. बीमा निधि का व्ययन:—(1) अधिनियम और इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बीमा निधि, जिसके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा नहीं है, इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार प्रसुविधाओं के संदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, खर्च नहीं की जायेगी।

(2) बीमा निधि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रचालित की जायेगी जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं।

18. प्रशासन के व्यय :—इस स्कीम के प्रशासन संबंधी सभी व्ययों की, जिनके अन्तर्गत प्रादेशिक समिति पर हुए व्यय भी हैं, पूर्ति 'बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा' में से की जाएगी।

19. लेखाओं के प्ररूप:—बीमा निधि के लेखे, जिनके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा भी है, आयुक्त द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखे जायेंगे जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

20. लेखा परीक्षा:—(1) बीमा निधि के लेखाओं की, जिसके अन्तर्गत बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा भी है; परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले गए अनुदेशों के अनुसार की जायेगी।

(2) लेखा परीक्षा मद्दे हुए प्रभार बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा में से दिए जाएंगे।

21. बजट:—(1) आयुक्त, प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम पखवाड़े से पूर्व केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष एक बजट रखेगा जिसमें अभिदायों से और प्रशासनिक प्रभारों के उद्ग्रहण से होने वाली अधिसंभाव्य प्राप्तियां और वह व्यय दिखाया जायेगा जिसे ठीक अगले वित्तीय वर्ष के दौरान करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बजट मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को, उसे केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखने से एक मास के भीतर, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, बजट मंजूर करने से पूर्व, उसमें ऐसे उपांतरण कर सकेगी जिन्हें वह वांछनीय समझे।

(3) आयुक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर की गई निधियों का बजट सम्बन्धी पुनर्विनियोग वर्ष के दौरान किसी भी समय कर सकेगा, परन्तु यह तब जब—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर की गई कुल रकम में कोई बढ़ोतरी न हो;

(ii) ऐसा प्रशासन संबंधी उन व्ययों की पूर्ति के लिए ही किया जाए जिनकी पूर्ति बीमा निधि केन्द्रीय प्रशासन लेखा में से पैरा 18 के अनुसार की जानी है; और

(iii) इस प्रकार किए गए प्रत्येक पुनर्विनियोग की रिपोर्ट उसके द्वारा बोर्ड को उसकी अगली बैठक में दी जाये।

(4) आयुक्त, किसी वित्तीय वर्ष के लिए, विस्तार सहित ऐसे अनिवार्य व्यय प्राक्कलन और कारणों को देते हुए, जिसका उस वर्ष के दौरान उपगत होना संभाव्य है, और जिसके लिए मंजूर बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है तथा जो उपधारा (3) के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता था, केन्द्रीय बोर्ड समक्ष एक अनपूरक बजट रखेगा। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अनपूरक बजट, केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष उसके रखे जाने से एक मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) वित्तीय वर्ष के मंजूर बजट के आधिक्य में आयुक्त द्वारा किए गए किसी व्यय की, जो उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है, रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड को, उस आधिक्य के हो जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, उसके विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए, की जायेगी।

22. बीमा प्रसुविधा के सापमान और कर्मचारी द्वारा रखे जाने वाला न्यूनतम अतिशेष:—(1) किसी ऐसे कर्मचारी को, जो निधि का सदस्य है, मृत्यु हो जाने पर, मृतक व्यक्ति के भविष्य निधि में के धन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को, ऐसे धन के अतिरिक्त, दस हजार रुपये से अनधिक उतनी रकम और दी जायेगी जितनी पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान उस निधि में मृतक के खाते में औसत अतिशेष के बराबर होगी :

परन्तु यह तब जब मृतक कर्मचारी के खाते में औसत अतिशेष पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय एक हजार रुपये से कम न हो।

स्पष्टीकरण :—किसी कर्मचारी के संबंध में निधि में औसत अतिशेष का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, कर्मचारी और नियोजक द्वारा अभिदायों की कुल रकम जो सुसंगत अवधि के दौरान देय हो, चाहे वह उस पर ब्याज सहित संदत्त कर दी गई हो या असंदत्त रही गई हो, लेखे में ली जायेगी।

(2) किसी ऐसे अंशकालिक कर्मचारी की दशा में जो एक से अधिक कोयला खानों में सेवा करते हुए भविष्य निधि का सदस्य था, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा का परिमाण पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान निधि में उसके सभी खातों में कुल अतिशेष के औसत के निवेश से निर्धारित किया जायेगा।

23. बीमा प्रसुविधा—किसे सन्देय है:—(1) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस स्कीम के अधीन किया गया नामनिर्देशन समझा जायेगा और बीमे की रकम ऐसे नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जायेगी।

(2) यदि कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है अथवा नामनिर्देशन का निधि में उसके नाम जमा रकम के एक भाग से है तो, यथास्थिति, सारी रकम या उसका वह भाग जिससे नामनिर्देशन का संबंध नहीं है, उसके कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर अंशों में संदेय हो जायेगी :

परन्तु निम्नलिखित को कोई अंश संदेय नहीं होगा—

(क) वे पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(ख) मृतक पुत्र के वे पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(ग) वे विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं;

(घ) किसी मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं;

यदि खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य विद्यमान है :

परन्तु यह और किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाओं और उसके बालक बराबर भागों में अपने बीच केवल उसी अंश को प्राप्त करेंगे जिसे उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जब वह कर्मचारी का उत्तरजीवी रहा होता, और उसकी मृत्यु के समय उसने वयस्कता की आयु न प्राप्त की होती।

(3) ऐसी किसी दशा में, जिसमें उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध लागू नहीं होते, पूरी रकम उस व्यक्ति के सन्देय होगी जो विधिपूर्वक उसका हकदार है।

स्पष्टीकरण :—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, कर्मचारी के उसकी मृत्यु के पश्चात् पैदा हुए बालक को, यदि वह जीवित पैदा हुआ है, तो, उसी प्रकार माना जाएगा जैसे उसकी मृत्यु से पूर्व पैदा हुए उत्तरजीवी बालक को माना जाता है।

24. बीमे की रकम कैसे अदा की जायेगी :—(1) नामनिर्देशिती या अन्य दावेदार, इस स्कीम के अधीन सन्दाय का दावा करने के लिए लिखित आवेदन ऐसे प्ररूप में, जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, नियोजक की मार्फत आयुक्त को भेजेंगे।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस स्कीम के अधीन कोई रकम दी जानी है, अप्रयस्क है या पागल है तो, संदाय, ऐसे व्यक्तियों को सन्दाय के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 स्कीम में दिए गए उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(3) इस स्कीम के अधीन किया जाने वाला सन्दाय निक्षेप के रूप में किसी बचत बैंक खाते में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों अथवा अन्य दावेदारों के नाम में किया जायेगा।

25. रजिस्टर, अभिलेख आदि :—आयुक्त, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से, कर्मचारियों की बाबत रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार किसी कर्मचारी को उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों, अथवा उसके कुटुम्ब किसी सदस्य को पहचानने के प्रयोजनार्थ, किसी पहचानपत्र, टोकन या डिस्क के प्ररूप के स्वरूप या डिजाइन को, तथा ऐसी अन्य औपचारिकताओं को, जिन्हें उक्त प्रसुविधा के सन्दाय के संबंध में पूरा किया जाना है, ऐसे आवधिक सत्यापन के अधीन रहते हुए जो आवश्यक समझा जाए, बोर्ड के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

26. इस स्कीम के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट :—केन्द्रीय बोर्ड, पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम के कार्यकरण के संबंध में एक रिपोर्ट, प्रति वर्ष 15 अक्तूबर से पूर्व अनुमोदित करेगा और उसे 30 नवम्बर, से पूर्व केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

27. निदेश जारी करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या आयुक्त को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह स्कीम के समुचित प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

28. ऐसे स्थापनों से संबंधित विशेष उपबन्ध जिनको धारत इस स्कीम के उपबन्धों से छूट के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं :—

(1) (i) आयुक्त, आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसे यह स्कीम लागू होती है, उस कर्मचारी से आवेदन प्राप्त हो जाने पर इस स्कीम के सभी या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा :

परन्तु यह तब जब कि वह कर्मचारी, कोयला खान के नियमों के अनुसार और जीवन बीमा के रूप में, चाहे वह भविष्य निधियों में उनके निक्षेपों से सहबद्ध हो या न हो, प्रसुविधाओं को, कोई अलग अभिदाय, या प्रीमियम का संदाय, किए बिना, उपभोग कर रहा हो और ऐसी प्रसुविधाएं इस स्कीम के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल हों।

(ii) जहां किसी कर्मचारी को यथापूर्वोक्त छूट दी गई है, वहां वह नियोजक उस कर्मचारी के संबंध में ऐसे लेखे रखेगा, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं देगा जिनका निदेश आयुक्त दे और ऐसे विनिधानों का संदाय करेगा जिनका निदेश केन्द्रीय सरकार दे।

(2) कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन, आयुक्त को आवेदन करके यह अनुरोध कर सकेगा कि स्कीम की प्रसुविधाएं उसे दी जाएं।

(3) किसी भी कर्मचारी को प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट नहीं दी जाएगी और न ही उसे दी गई छूट रद्द हो जाने पर दुबारा छूट के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(4) (i) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, कर्मचारियों के किसी वर्ग को, जिसे यह स्कीम लागू होती है, ऐसे प्ररूप में, जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, उसके लिए आवेदन प्राप्त हो जाने पर, इस स्कीम के सभी या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी :

परन्तु यह तब जब कि कर्मचारियों का ऐसा वर्ग, कारखाने या अन्य स्थापन के नियमों के अनुसार, जीवन बीमा के रूप में, चाहे वह भविष्य निधि में उनके निक्षेपों से सहबद्ध हो या न हो, प्रसुविधाओं का, कोई अलग अभिदाय, या प्रीमियम का संदाय, किए बिना, उपभोग कर रहा हो, और ऐसी प्रसुविधाएं इस स्कीम के अधीन संबंधित प्रसुविधाओं के अधिक अनुकूल हों।

(ii) जहां कर्मचारियों के किसी वर्ग को यथापूर्वोक्त छूट दी गई है वहां वह नियोजक कर्मचारियों के उस वर्ग के संबंध में ऐसे लेखे रखेगा, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं देगा ऐसे निरीक्षण-प्रभार अदा करेगा और ऐसे विनिधानों का संदाय ऐसी रीति से करेगा जिसका निदेश केन्द्रीय सरकार दे।

(5) कर्मचारियों का वह वर्ग, जिसे उपधारा (4) के अधीन छूट दी गई है या ऐसे वर्ग के कर्मचारियों की बहुसंख्या, आयुक्त को आवेदन करके, यह अनुरोध कर सकेगा कि उसे इस स्कीम की प्रसुविधाएं दी जाएं।

(6) कर्मचारियों के किसी वर्ग को अथवा ऐसे वर्ग के कर्मचारियों की बहुसंख्या को प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट नहीं दी जायेगी और न ही उसे दी गई छूट रद्द हो जाने पर दुबारा छूट के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(7) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त किसी ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन के संबंध में जिसकी बाबत अधिनियम की धारा 17(2क) के अधीन छूट का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, उस आवेदन का निपटारा होने तक, इस स्कीम के उपबन्धों को ऐसी रीति से शिथिल कर सकेगा जिसका निदेश वह दे।

[संख्या-एस० 35012(2)/76-भ०नि०-2(iii)]
एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1976

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 1246.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 53/59- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 मई, 1959 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) में मद (21) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(22) सभी प्रकार के सूती पर्दे"

[अधिसूचना सं० 228/76-सी० ई०-फा० सं० 261/19/18/76-सी एक्स 8]
एम० के० भारद्वाज, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

New Delhi, the 21st August, 1976

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1246.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/59-Central Excises, dated the 9th May, 1959, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against Serial Number 2, after item (21) in column (2), the following item shall be inserted, namely :—

"(22) Cotton curtains, all types".

[Notification No. 228/76-C.E.-F. No. 261/19/18/76-CX8]
S. K. BHARADWAJ, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.